PAR 340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session

सत्यमेव जयते

Preservation
27-5-92
Fumigated
On 26.12.83
Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंगेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summars from of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 5—मंगलवार 23 फरवरी, 1965/4 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
87	पाराद्वीप पत्तन	335—39
88	सेतुसमुद्रम परियोजना	339—42
89	कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना	342—45
90	चीनी मिलों का बन्द होना	345—49
91	बेकारी बीमा योजना	349—52
92	खाद्य उत्पादन	352—56
93	बनस्पति में रंग मिलाना	357—59
94	कृषि मूल्य आयोग	359—61

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
95	बद्धावस्था पेंशन योजना	361
96	छिपाये हुए अनाज का पता लगाना	362
97	कलकत्ता पत्तन	362—63
98	खड़ी फसलों की बिक्री	363—64
99	आस्ट्रेलिया से गेहूं	364
100	गंगा नदी पर पुल	364—65
101	चुनाव याचिकायें	365—66
102	मध्य प्रदेश के नगरों के साथ विमान द्वारा सम्पर्क	366
103	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	366
104	उर्वरकों की बिक्री के लिए उधार कार्ड प्रणाली	366—67
106	खण्डों (ज़ोनों) की समाप्ति)	367—68
107	केरल में चुनाव	368
108	अन्तर्देशीय जल परिवहन	368—69
109	खाद्य निगम	369—70
110	दिल्ली के लिये पंजाब का गहूं	370
111	खाद्य स्थिति	370—71
112	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का विलय	371—73

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 5—Tuesday, February 23, 1965/Phalguna 4, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
87	Paradeep Port	335—39
88	Sethusamudram Project	339—42
89	Cochin Shipyard	342—45
90	Closure of Sugar Mills	345—49
91	Unemployment Insurance Scheme	349—52
92	Food Production	352—56
93	Colourisation of Vanaspati	357—59
94	Agricultural Prices Commission	359—61

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*		
95	Old Age Pension Scheme	361
96	Unearthing of Hoarded Foodgrains	362
97	Calcutta Port	362—63
98	Sale of Standing Crops	363—64
99	Wheat from Australia	364
100	Bridge over Ganga	364—65
101	Election Petitions	365—66
102	Air-linking of M.P. Towns	366
103	Employees' State Insurance Scheme	366
104	Credit Card System for Sale of Fertilizers	366—67
106	Abolition of Zones	367—68
107	Elections in Kerala	368
108	Inland Water Transport	368—69
109	Food Corporation	369—70
110	Punjab Wheat for Delhi	370
111	Food situation	370—71
112	Merger of Ministry of Community Development and Co-operation and Ministry of Food and Agriculture	371—73

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
113	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	373
114	नगरों में राशन व्यवस्था	373–74
115	गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल	374–75
116	खाद्यान्न का आयात	375

अतारांकित

प्रश्न संख्या

180	खादी और ग्रामोद्योग	375–76
181	गज़ल-रानीगंज राष्ट्रीय राजपथ	376
182	बनीकरण	376
183	"ओशियन" ढोर	376–77
184	खाद्य निगम	377
185	कृषि कालिज	377
186	विदेशी गेहूं के मूल्य	378–79
187	मछली पकड़ने का हल्दिया बन्दरगाह	379
188	भूमि संरक्षण	379–80
189	केरल में मीन क्षेत्र का विकास	380
190	पंजाब में उपचुनाव	380
191	दूध बेचने के डिपो	380–81
192	दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध इकट्ठा करना	381
193	भुखमरी के कारण मौत	381
194	दलित वर्गों का कल्याण	382
195	पंचायतों को वित्तीय सहायता	382
196	दिल्ली में यातायात नियंत्रण	383
197	संविधान सभा के प्रलेख	363
198	पंजाब को कृषि ऋण	383–84
199	पशु विकास कार्यक्रम	384
200	कृषि वस्तुओं का उत्पादन	384–85
201	ग्रामोद्योग की वस्तुओं का निर्यात	385
202	मुर्गी दाना	385–86
203	संकर (हाइब्रिड) मक्की और मोटे अनाज के बीज	386
204	ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	387
205	केन्द्रीय तिलहन समिति	387
206	नकली सहकारी समितियां	387–88
207	इटावा-भिंड सड़क पर पुल	388
208	पंजाब में हरिजन कल्याण	388–89
209	तटवर्ती क्षेत्रों के लिये राडार	389

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
113	Indian Airlines Corporation	373
114	Rationing in Cities	373-74
115	Strike by Sugarcane Growers	374-75
116	Import of Foodgrains	375
Unstarred Questions Nos.		
180	Khadi and Village Industries	375-76
181	Gazal Raniganj National Highway	376
182	Afforestation	376
183	Friesian Cattle	376-77
184	Food Corporation	377
185	Agricultural Colleges	377
186	Prices of Imported Wheat	378-79
187	Fishing Harbour, Haldia	379
188	Soil Conservation	379-80
189	Development of Fisheries in Kerala	380
190	Bye-Elections in Punjab	380
191	Milk Sale Depots	380-81
192	Procurement of Milk for Delhi Milk Scheme	381
193	Starvation Deaths	381
194	Welfare of Weaker Sections	382
195	Financial Help to Panchayats	382
196	Traffic Control in Delhi	383
197	Constituent Assembly Documents	383
198	Agricultural Loan to Punjab	383-84
199	Animal Development Programme	384
200	Production of Agricultural Commodities	384-85
201	Export of Gramodyog Goods	385
202	Poultry Feed	385-86
203	Hybrid Maize and Millet Seeds	386
204	Rural Works Programme	387
205	Central Oil Seeds Committee	387
206	Bogus Co-operative Societies	387-88
207	Bridges on Etawah-Bhind Road	388
208	Harijan Welfare in Punjab	388-89
209	Radars for Coastal Areas	389

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
210	चीचड़ "ज्वर"	390
211	भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्था	390–91
212	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	391
213	नौवहन प्रतिनिधि मंडल की संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया की यात्रा	391–92
214	श्रमिकों की सहकारी संस्थाएं	392–93
215	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	393
216	सहकारी खेती	393–94
217	पशुपालन का विकास	394
218	खंड विकास अधिकारियों के कर्तव्य	395
219	कृषि फार्म	395–96
220	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	396
221	सब्जी पैदा करने वाला क्षेत्र	396–97
222	ढोरों का बीमा	397
223	देहाती पुनर्निर्माण	397
224	खाद्य उपभोग और आहार पुष्टि संबंधी सर्वेक्षण	398
226	कोयला खान भविष्य निधि योजना	398
227	कृषि उत्पादन	398–99
228	चीनी का निर्यात	399–400
229	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	400–01
230	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा छबुआ हवाई अड्डे का प्रयोग	401
231	आसाम में राष्ट्रीय राजपथ	401–02
232	पर्यटन का विकास	402–03
233	दिल्ली में भूमिगत रेलवे	403
234	गुजरात में सड़कें	403
235	उड़ीसा में तैयार की जाने वाली खादी	404
236	गवेषणा केन्द्र	404
237	उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सड़क कोष	404–05
238	उड़ीसा में सड़कों/पुलों का निर्माण	405
239	सामुदायिक विकास खंड	406
240	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	406–07
241	उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य	407
242	दिल्ली परिवहन	407–08
243	नमूने के बीजों का केन्द्र	408
244	कृषि उत्पादन	408–09

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
210	Tick-Fever	390
211	Sheep and Wool Research Institute	390–91
212	Delimitation of Constituencies	391
213	Shipping Delegation to U.A.R. and Yugoslavia	391–92
214	Cooperative Societies of Labour	392–93
215	Delimitation of Constituencies	393
216	Cooperative Farming	393–94
217	Development of Animal Husbandry	394
218	Duties of B.D.Os.	395
219	Agricultural Farms	395–96
220	Development of Hill Areas	396
221	Vegetable Belt	396–97
222	Cattle Insurance	397
223	Rural Reconstruction	397
224	Food Consumption and Nutrition Survey	398
226	Coal Mines Provident Fund Scheme	398
227	Agricultural Production	398–99
228	Sugar Export	399–400
229	Indian Council of Agricultural Research	400–01
230	Use of Chabua Aerodrome by Airlines Corporation	401
231	National Highways in Assam	401–02
232	Development of Tourism	402–03
233	Underground Railway in Delhi	403
234	Roads in Gujarat	403
235	Khadi Produced in Orissa	404
236	Research Centres	404
237	Central Road Fund for Orissa	404–05
238	Construction of Roads/Bridges in Orissa	405
239	C.D. Blocks	406
240	National Highways in Orissa	406–07
241	Local Development Works in Orissa	407
242	D.T.U.	407–08
243	Model Seed Centre	408
244	Agricultural Production	408–09

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
245	वन सम्बन्धी परियोजना	409-10
246	चावल की बिक्री	410
247	केरल सड़क परिवहन निगम	410-11
248	दिल्ली दुग्ध योजना के घी का मूल्य	411
249	लंका को चावल का सम्भरण	411
250	पर्यटन	411-12
251	सहकारिता प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण	412

सभा पटल पर रखे गये पत्र 412—14

राज्य-सभा से संदेश 414

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक--सभा पटल पर रखे गये 414

समवाय (संशोधन) विधेयक 414

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 414

(दो) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य 415

प्राक्कलन समिति 415

पैंसठवां प्रतिवेदन 415

समिति के लिए निर्वाचन 415

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति 415

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1964-65 415

22 फरवरी, 65 को उठाये गये व्यवस्था प्रश्न पर--विनिर्णय के बारे में 416

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव 416

श्री बाकर अली मिर्जा 416

श्री कामले 417—19

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी 419-20

श्रीमती रेणुका बड़कटकी 420—22

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 422-23

श्री मनोहरन 423-24

श्री श० ना० चतुर्वेदी 424

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
245	Forestry Project	409-10
246	Sale of Rice	410
247	Kerala Road Transport Corporation	410-11
248	Price of Delhi Milk Scheme Ghee	411
249	Supply of Rice to Ceylon	411
250	Tourism	411-12
251	Training in Cooperative Management	412
	Papers laid on the Table	412—14
	Messages from Rajya Sabha	414
	Bills, as passed by Rajya Sabha—Laid on the Table	414
	Companies (Amendment) Bill	414
	(i) Report of Joint Committee	414
	(ii) Evidence before Joint Committee	415
	Estimates Committee	415
	Sixty-fifth Report	415
	Election to Committee	415
	Indian Central Sugarcane Committee	415
	Demands for Supplementary Grants (General) 1964-65	415
	Re : Ruling on Point of Order raised on 22-2-65	416
	Motion on President's Address	416
	Shri Bakar Ali Mirza	416
	Shri Kamble	417—19
	Shri Tridib Kumar Chaudhari	419-20
	Shrimati Renuka Barkataki	420—22
	Shrimati Tarkeshwari Sinha	422-23
	Shri Manoharan	423-24
	Shri S. N. Chaturvedi	424

विषय	पृष्ठ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

डा० श्री निवासन . .	425–26
श्री प्र० के० देव .	426—28
श्री दि० सिं० चौधरी .	428–29
श्री मधु लिमये .	430—32
श्री ब्रह्म प्रकाश	432–33
श्री बदरुदुजा . .	433–34
श्री ल० ना० भंजदेव . .	434–35
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . .	435–36
श्रीमती अक्कम्मा देवी . .	436–37

Subject	PAGES
Motion on President's Address—*Contd.*	
Dr. P. Srinivasan . . .	425-26
Shri P. K. Deo . . .	426—28
Shri D. S. Chaudhuri . .	428-29
Shri Madhu Limaye . .	430—32
Shri Brahm Prakash . . .	432-33
Shri Badrudduja	433-34
Shri L. N. Bhanja Deo	434-35
Dr. L. M. Singhvi	435-36
Shrimati Akkamma Devi	436-37

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 फरवरी, 1965/4 फाल्गुन, 1886 (शक)

Tuesday, February 23, 1965/Phalghuna 4, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\+

पारादीप पत्तन

*87. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुबोध हंसदा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार उड़ीसा की पारादीप पत्तन परियोजना को

अपने हाथ में लेने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) से (ग). जून, 1964 में उड़ीसा सरकार ने निवेदन किया कि पारादीप पत्तन परियोजना के खर्चे की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को ले लेनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने यह कारण दिया कि इस परियोजना की मूलतः अनुमानित 12 करोड़ रुपये की लागत बढ़कर 26 करोड़ रुपये हो गयी है और अपने साधनों से इसके खर्चे को पूरा करना राज्य सरकार की शक्ति से बाहर है । राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेना चाहिए।

परियोजना के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हो गयी है । यह राष्ट्रीय हित में है कि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाय । अतः भारत सरकार प्रस्तावों को सक्रिय रूप से जांच कर रही है और यथासंभव शीघ्र निर्णय किया जायगा ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच नहीं है कि इस परियोजना पर काम करने में उड़ीसा की राज्य सरकार ने परामर्शदाताओं और अन्य विशेषज्ञों द्वारा दिये गये तकनीकी परामर्श की उपेक्षा की और इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ ऐसी गल्तियां कीं जिससे इस परियोजना की लागत में कई करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है और अब केन्द्रीय सरकार को . . .

अध्यक्ष महोदय : कितने प्रश्न एक साथ मिलाये गये हैं ? यह अनुपूरक प्रश्न बड़ा लम्बा है ।

श्री राज बहादुर : यह परियोजना एक अर्हता प्राप्त मुख्य इंजीनियर के अधीन है । उसके परामर्श से ही काम किया जा रहा है । उन्होंने परामर्शदाता भी नियुक्त किये जिन्होंने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया । मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार ने किसी तकनीकी परामर्श की उपेक्षा की । मुख्य इंजीनियर और परामर्शदाताओं की राय भिन्न भिन्न हो सकती है । लेकिन वे सामान्य तरीके की हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यदि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है तो क्या वह "एक्सप्रेसिव परियोजना" को भी, जो पत्तन परियोजना की एक सहायक योजना है, अपने हाथ में लेगी ?

श्री राज बहादुर : परिवहन मंत्रालय को जो प्रस्ताव मिला है वह परादीप पत्तन परियोजना को अपने हाथ में लेने के बारे में है ।

Shri Yashpal Singh : When the Governor of Orissa is one of the famous Engineers of India, may I know the reason for handing over this project to the Central Government ? Moreover, in view of decentralisation at every place, what are the reasons on account of which the Central Government is contemplating taking over this port ?

Shri Raj Bahadur : The Governor is not working on this project.

Shri M. L. Dwivedi : May I know as to when the State Government of Orissa proposed that the Central Government should take over this project and since when the Government is examining that proposal and by when this examination will be completed ?

Shri Raj Bahadur : This proposal was made in June, 1964 for the first time. The main reason was financial difficulty. It is being considered as to from which sources the money should be got and on what terms and conditions the Central Government should take it over ?

Shri M.L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir.....

Mr. Speaker : By when the decision is likely to be taken ?

Shri Raj Bahadur : The decision is likely to be taken shortly.

श्रीमती सावित्री निगम : इस परियोजना की निर्माण लागत का पहले क्या अनुमान लगाया गया था। और इस में कितनी वृद्धि की गई है और इसको पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई थी ?

श्री राज बहादुर : पहले इस परियोजना पर 12 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान था जिस पर अब, उन के अनुमानों के अनुसार, 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे । तथापि हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का मत है कि इसको कम कर के 20.5 करोड़ रुपये किया जा सकता है ।

श्री सुबोध हंसदा : पहले इस पर 12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था और अब यह बढ़ कर 26 करोड़ रुपया हो गया है । इस परियोजना में किन मदों को बढ़ाया गया है जिससे अनुमान बढ़कर 26 करोड़ रुपये हुए हैं।

श्री राज बहादुर : यह तो ब्योरे का मामला है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक दल ने हाल में ही इस पत्तन का दौरा किया था ? इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री राज बहादुर : परियोजना प्रतिवेदन को बड़ा अच्छा पाया गया है । इस से हमारे बड़े पत्तनों में वृद्धि होगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the reasons on account of which the State Government have agreed to hand it over to the Central Government ? May I also know the amount to be invested in it by the State Government and the Central Government ?

Shri Raj Bahadur : The main reason is shortage of finances. So far the State Government have spent 8 crores of rupees and it is estimated that if the Central Government takes it over, they would have to spend 11 to 12 crores of rupees.

Shri Onkar Lal Berwa : Whether the State Government have also made certain conditions ?

Shri Raj Bahadur : The State Government have stated that this Project is a big project and they could not meet the whole expenditure, but as this project is of national interest, so we are considering taking over it.

Shri Bibhuti Mishra: In view of the silting of the Hoogli river and obstructions to ships and in view of the fact that there is no other suitable port than Paradip, will the Central Government construct it by taking it over into their hands ?

Shri Raj Bahadur: We have also concern about Hoogli river. Over the Hoogli river also, Haldia port is being constructed which would be a Subsidiary port of Calcutta. The function of that port is separate from that of Paradip port.

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि इस पारादीप पत्तन को केन्द्र द्वारा नौवहन बोर्ड के अध्यक्ष के सुझाव पर अपने हाथ में लिया जा रहा है क्योंकि मुख्य इंजीनियर श्री श्रीनिवासन ने कुप्रशासन किया और धन की बड़ी बर्बादी की, जो कि विशेष पुलिस संस्थान की मद्रास शाखा के मामले पी० ई०—37/59 में ही शामिल नहीं है बल्कि 90 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान भी किया है . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि केन्द्र द्वारा इसको इस लिये अपने हाथ में लिया जा रहा है क्यों कि राज्य सरकार के पास धन की कमी है ।

श्री प्र० के० देव : मैं इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी चाहता हूं । क्या यह सच है कि उस इंजीनियर ने 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में, लगभग 14 लाख रुपये बीजू पटनायक की कलिंग इन्डस्ट्रीज को टुबुलर ढांचे बनाने के लिए दिये जिनको बाद में वहां के लिए अनुपयुक्त पाया गया ।

श्री राज बहादुर : राज्य सरकार ने जो हमें मुख्य कारण बताया है वह इस परियोजना को पूरा करने के लिये धन की कमी है । जहां तक धन की बर्बादी का प्रश्न है, हमें अभी सारे मामले पर विचार करना है और यह पता लगाना है कि क्या धन की बर्बादी हुई है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध मद्रास के किसी मामले का उल्लेख कर रहे हैं ; यदि ऐसा है, तो मैं समझता हूं कि इसका मल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान पारादीप पत्तन के समीप जापानी जहाजों को देखा गया था और बताया गया है कि हाल ही में चीनी जहाज पारादीप पत्तन के समीप उड़ीसा के समीप तक पहुंच गये थे। क्या सरकार इस पत्तन को एक प्रकार का नौसैनिक अड्डा बना रही है, ताकि इस पत्तन में कोई शत्रु न आ सके ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस बारे में सरकार की कोई नीति है कि कौन सी परियोजनाएं केन्द्र बनाए और कौन सी राज्य ? क्या किसी राज्य सरकार को इस बात की छूट है कि परियोजना आरम्भ कर के कुछ धन खर्च कर दे और फिर बाद में इसे केन्द्रीय सरकार को सौंप दे ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । राज्य सरकार ने और अन्य नौवहन पक्षों ने इस बारे में जोरदार सिफारिश की थी कि इस पारादीप पत्तन को हम बनाएं और

इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करें। हम ने एक समिति नियुक्त की और उस ने परामर्श दिया कि आवश्यक धन और इसकी कमी को देखते हुए इसका केवल बीच के दर्जे का पत्तन के रूप में विकास किया जाए। बाद में राज्य सरकार ने इस पर जोर दिया और कहा कि वे इस पर आगे कार्य करेंगे और विचार करने के बाद उनको इसकी अनुमति दे दी गयी। आरम्भ में इस परियोजना पर 12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था जो कि अब बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो गया है। इसीलिए वे चाहते हैं कि इस पत्तन को हम अपने हाथ में ले लें और इसीलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। जो भी हो, इसका विकास करना राष्ट्रीय हित में है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी परियोजना आरम्भ करके केन्द्र को सौंप सकता है। इस बारे में कोई नीति तो होनी ही चाहिए।

श्री राज बहादुर : राष्ट्रीय हित में हम इसे लेना और बनाना चाहते हैं। इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसको चौथी योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और कुछ अग्रिम कार्रवाई कर के हम इसे ले लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सभी विकास-कार्य राष्ट्रीय हित में होते हैं। यह हम भली भांति समझते हैं।

श्री बूटा सिंह : क्या यह सच है कि उड़ीसा के मामले में केन्द्रीय जांच ब्योरो की रिपोर्ट में श्री बीजू पटनायक को परादीप पत्तन से अनुचित लाभ उठाने से दोष मुक्त कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता।

श्री बूटा सिंह : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी और हमें ऐसा बताया गया था।

सेतुसमुद्रम परियोजना

\+

*88. **श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सेझियान :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री परमशिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आये समुद्री ज्वार भाटे के कारण रामेश्वरम टापू में हुई विनाश लीला

को ध्यान में रख कर चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सेतुसमुद्रम परियोजना के लिये धन राशि नियत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने पूंजी परिव्यय की मंजूरी देने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना से संबद्ध तकनीकी जांच और जलग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 22.14 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । ये जांच पड़तालें पूरी की जा चुकी हैं ।

2. मुख्य परियोजना की चौथी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में अग्रिम कार्यवाही के लिये शामिल करने पर विचार किया जा रहा है । इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट को जांच पड़ताल के लिए एक विशेष तकनीकी समिति को दिया जा रहा है । उस रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत 22 करोड़ रुपये प्राक्कलित की जाती है । तकनीकी समिति की राय में प्राक्कलन कम है और उसे 30 करोड़ रुपये होना चाहिए । पहुंच जलमार्ग में रेत भरने के बारे में कुछ अध्ययन जरूरी समझा गया है । इस परियोजना के आर्थिक पहलू के लिये और तकनीकी रिपोर्ट के अध्ययन को शीघ्र समाप्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की गई है जिस से परियोजना के बारे में आगे की कार्यवाही जल्दी की जा सके । जांच पड़ताल के पूरा हो जाने पर और परियोजना स्वीकृत हो जाने पर अग्रिम कार्यवाही के लिये विनिधान किया जायेगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the Government would reconstruct the ancient temples, which are signs of Indian culture while implementing this project ?

Shri Raj Bahadur : If the hon. Member has in his mind something in regard to the temple of Rameshwaram, I may tell him that that Temple is safe and if any action will be taken regarding that temple that is to be taken by the Archaeological Department or the State Government. We have not to do anything in that regard.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : My point is that whether other smaller temples besides Rameshwaram temple which are signs of Indian culture, will also be reconstructed ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that the reconstruction of temples, is not their responsibility

Shri Jagdev Singh Siddhanti: My point is that, whether the Central Government would consult the State Government and other concerning departments regarding these temples while implementing the project ?

Mr. Speaker : Yes.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether this project is being constructed at the place of the tidal wave or at some place far from it ?

Shri Raj Bahadur : Under this project, a canal is being constructed in the sea which would be 30 feet in depth so as to enable ships to enter there. That is a very small area where the tidal wave come. It has no relation with that except that the canal will pass through near that place.

श्री कपूर सिंह : क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि रामेश्वर में जो दुर्घटना हुई वह ज्वार-भाटे के फलस्वरूप हुई और समुद्री तूफान के कारण नहीं हुई ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का भी मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना नहीं है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । उनका कहना है कि इस प्रश्न का उनके मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है और वह इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री कपूर सिंह : जब तक दुर्घटना का कारण पता न हो तो उनका मंत्रालय कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : वह सारी जिम्मेदारी इस मंत्रालय की तो नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय को पता है कि ज्वार-भाटा और समुद्री तूफान में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री दाजी : उन्हें लोक सेवा आयोग के समक्ष जाना चाहिए ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस परियोजना के बन जाने पर क्या लाभ होगा और इस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

श्री राज बहादुर : कुल अनुमित लागत के बारे में विवरण में बताया गया है । यह लगभग 22 करोड़ रुपये है । तथापि, तकनीकी समिति ने सलाह दी है कि यह रकम कम होगी और यह 30 करोड़ रुपये हो सकती है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपये है । बाद में तकनीकी समिति ने इसको बदल कर 30 करोड़ रुपये कर दिया । इस में वृद्धि के क्या मुख्य कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : बात यह है कि इसको ठीक से इतनी खुदाई हो जाये ताकि 30 फुट गहरे जहाज इस में आ-जा सकें जिस से लागत बढ़ेगी । इसके अतिरिक्त इसके संबंध में शंका प्रकट की गई है कि इस से समय की बचत होगी अथवा नहीं तथा योजना से लाभ भी होगा या नहीं । इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है जिस से लागत में वृद्धि हुई है ।

Shri Brij Behari Mehrotra : Whether Dhanushkoti and Rameshwaram will be linked with India by this construction work ?

Shri Raj Bahadur : Both of them are on the same island.

श्री मुथिया : क्या परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने मद्रास सरकार के परियोजना प्रतिवेदन की जांच की है ? यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : तकनीकी समिति मद्रास सरकार के परियोजना प्रतिवेदन की जांच करने के लिए नियुक्त की गई है । इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है । मैंने अभी बताया कि इसने कुछ शंकाएं रखी हैं ।

कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना

+

*89. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री ब० कु० दास :
श्री चाण्डक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये भारत सरकार तथा जापान की जहाज बनाने वाली फर्म के बीच सहयोग की शर्तों के बारे में फैसला हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 1 फरवरी, 1965 को मित्सूविशी हैवी इंडस्ट्रीज़ लि० जापान से शिपयार्ड के बारे में आधार सर्वेक्षण, प्राथमिक प्ररचना और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में एक समझौता हुआ था । एक शिपयार्ड की स्थापना में ये प्रथम आवश्यकीय बातें हैं। मित्सूविशी हैवी इंडस्ट्रीज 30 अप्रैल, 1966 तक आवश्यक सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट दे देंगे । इस प्रयोजन के लिये उन्हें 15 लाख रुपये की फीस दी जा रही है । परियोजना के अन्य क्रमों के बाबत जो उक्त सर्वेक्षण और डिजाइन अध्ययनों के परिणामों व उन के द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर आधारित और उन से संबंधित होंगे उन के लिए उक्त कम्पनी से सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : दूसरा शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव कई साल से लम्बित है और करार के बाद भी जापान की मित्सुविशी पक्की बात करने को तैयार नहीं है सहयोगियों का इस प्रकार का व्यवहार किन कारणों से है ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने केवल पक्की बात ही नहीं की बल्कि परियोजना के निर्माण के लिये एक करार भी कर लिया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या तकनीकी कारीगर तथा वित्त के बारे में मुख्य बातें तय कर ली गई हैं और यदि हां, तो भारतीय और जापानी कारीगर और वित्त किस अनुपात में इस में होगा ?

श्री राज बहादुर: पहले स्थान का सर्वेक्षण, रूप रेखा तैयार करने तथा नक्शे आदि बनाने का कार्य पूरा होगा और वैज्ञानिक तथा गणित संबंधी जांच के पश्चात् कारीगरों तथा वित्त के उपयोग के बारे में आगे बात होगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

श्री राज बहादुर : सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्रथम अनुमान को बदल दिया गया है और यह अब 8.7 करोड़ रु० है ।

Shri Yashpal Singh : Will we be self-sufficient after this shipyard starts production or we shall be importing ships even after that ?

Shri Raj Bahadur: It will depend on the strength of our fleet. In case ships carry 40 lakh tons of cargo we will have to import ships for two lakh tons. It means there will be some gap after the completion of two shipyards.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इन शिपयार्डों में बनने वाले जहाज़ों के लिये इंजिन तथा टरबाइनें देश में ही बनाये जायेंगे अथवा विदेशों से आयात किये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : भारी इंजीनियरी मंत्रालय इसके लिये एक परियोजना पर विचार कर रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

श्री राज बहादुर : करार के पश्चात् उन्होंने कार्य आरम्भ किया है । वास्तविक कार्य इस महीने की 26 तारीख से शुरू होगा ।

Shri M. L. Dwivedi : What type of ship will be constructed in the Cochin shipyard ; whether commercial ships will be constructed and if so, whether requirements of Defence forces will be taken up ?

Shri Raj Bahadur : Commercial ships will be constructed here and if Defence needs are there we will consider.

श्री ब० कु० दास : चुने गये स्थान के निकट ही जल सेना का अड्डा है । अतः एक प्रस्ताव था कि शिपयार्ड को कुछ और दक्षिण की ओर बनाया जाय । क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

श्री राज बहादुर : स्थान चुन लिया गया है अब कोचीन से दक्षिण में इसको हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : कोचीन शिपयार्ड बहुत समय से सुना जा रहा है । मैं इस को प्रथम लोक-सभा के बनने के समय से सुन रहा हूं । क्या यह इस लोक सभा या अगली लोक सभा की अवधि में पूरा हो जायगा ?

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को याद होगा कि पहले दूसरा शिपयार्ड बनाने के औचित्य पर भी शंकायें प्रकट की गई थीं । राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी० एल० मेहता ही दूसरे शिपयार्ड बनाने के विरुद्ध थे ।

श्री दी० चं० शर्मा : आप सदैव ग़लत अध्यक्ष चुनते हैं ।

श्री राज बहादुर : इन सभी शंकाओं पर विचार करना था । विशेष रूप से जब कि वे जानकार लोगों ने की थी । उसके स्थापना स्थान का प्रश्न था । इस में काफी समय लगा । फिर तकनीकी तथा वित्तीय सहयोगी ढूंढ़ने का प्रश्न था । जहाज बनाने वाला कोई भी राष्ट्र यहां पर जहाज बनाने के लिए सुगमता से तैयार नहीं हो जाता । मैं समझता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें अन्त में जापान से सहयोग प्राप्त हो गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : जहाजों की टन भार क्षमता क्या होगी ? क्या टेन्कर या समुद्र में जाने वाले अन्य जहाज बनाये जायेंगे ? अधिकतम क्षमता क्या होगी ?

श्री राज बहादुर : इस में बड़े जहाज बनाये जायेंगे । क्षमता हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी । जापान वालों ने तो कहा है कि वह तो जितना बड़ा हम जहाज चाहें बना सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What will be the amount to be invested by Japan Government and by our Government and when the work will start ?

Shri Raj Bahadur : Some things are to be settled. We are anxious for that. Japanese are also interested in financial participation.

Shri Madhu Limaye : Has any estimate been made in regard to foreign exchange involved in it ? What will be Japan's share and what will be of other countries ?

Mr. Speaker : He answered that question.

श्री राम सहाय पांडेय : हमें सभी प्रकार के जहाजों की आवश्यकता है । जापान के सहयोग से कार्य आरंभ हो गया है । क्या किसी अन्य देश को भी उचित शर्तों पर सहयोग देने को कहा गया है ?

श्री राज बहादुर : जब हम तीसरे शिपयार्ड के बनाने का निर्णय करेंगे इस बात पर तभी विचार किया जायगा ।

श्री तिरुमल राव : क्या इस शिपयार्ड के साथ साथ 30,000 टन के जहाजों की मरम्मत करने वाले एक यार्ड के बनाने का भी प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : यही तो हम करना चाहते हैं अर्थात् जहाज बनाने के यार्ड के साथ मरम्मत करने का यार्ड भी बनाया जाय ।

डा० पं० शा० देशमुख : श्री जी० एल० मेहता द्वारा मत प्रकट किये जाने के कितने समय पश्चात उन के मत को बदला गया और वह कौन बुद्धिमान आदमी था जिस ने यह यार्ड बनाना ठीक समझा ?

श्री राज बहादुर : वह मंत्री नहीं था । यह निर्णय सबने मिलजुल कर संयुक्त रूप से किया था किसी एक व्यक्ति ने यह निर्णय नहीं किया था ।

Shri P. H. Bheel : Which other countries, leaving Japan, were consulted for this purpose ?

Shri Raj Bahadur : We have consulted Germany and U.K. America also evinced interest. But Japanese shipbuilding industries were very much advanced. Their technique is quite developed and their ships are comparatively cheaper also.

चीनी मिलों का बन्द होना

\+

*90. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेडा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के नियमित तथा पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में चीनी मिलों के बन्द होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ने के कम मात्रा में मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संकट को टालने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और बुलन्दशहर में, शर्करा के कुछ कारखाने शायद सामान्य समय से पहले बन्द हो जाएं ।

(ख) इसका कारण, गन्ने का गुड़ और खंडसारी बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राब के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा सुरक्षित क्षेत्रों में बिजली के कोल्हुओं और खांडसारी कारखानों द्वारा खरीदे गए गन्ने पर राज्य सरकार ने 25 पैसे से 50 पैसे प्रति क्विण्टल क्रय कर बढ़ा दिया है । प्रभावित कारखानों ने भी गन्ने का भाव कुछ हद तक बढ़ा दिया है ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the cane crusher units purchase sugar-cane at the rate of Rs. 3 per maund whereas the Government are purchasing at cheap rates and the cane growers are not being paid full price ? The mill owners have, there after raised the rate by 52 paise whereas the Government have never asked them for enhancing the rate ?

Shri D. R. Chavan : Some people have enhanced the rates.

Shri Yashpal Singh : May I know the decrease in production of sugar and how this shortage would be met ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ है, परन्तु, सामान्यतया सारे देश को ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ा है ।

Shri M. L. Dwivedi ; In view of the fact that production of sugar in the mills of Uttar Pradesh is going down because of diversion of sugar-cane to Khandsari manufacture, may I know whether there would be increase in production in these mills as a result of measures taken by the Government ; and if not, what measures would be taken so that there is increase in production and the mills are not closed ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर से, गुड़-खण्डसारी के निर्माताओं तथा चीनी के निर्माताओं के बीच बहुत अधिक स्पर्धा है । हमें ऐसी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और इसीलिये मैं ने कहा है कि इस क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई है । अन्य क्षेत्रों में उत्पादन गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उत्पादन बढ़ेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ; क्या उन कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा अथवा यही स्थिति बनी रहेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में वे इस वर्ष लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे; उत्पादन में कमी होगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने चीनी मिलमालिकों से सलाह की थी और क्या उन्होंने इस क्षेत्र में गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश की थी जिस से कारखाने बन्द न हों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारे देश में एक जैसे ही मूल्य रखने पड़ते हैं। हम केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सकते । 2 रुपये प्रति मन के मूल्य समस्त देश के लिये निर्धारित किये गये हैं और चीनी निर्माताओं को इस मूल्य के अनुसार चलना पड़ेगा । यद्यपि चीनी कारखाने वाले उन को अधिक मूल्य दे सकते हैं तथापि वे इस कारण से चीनी के मूल्य में वृद्धि की आशा नहीं कर सकते ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that diversion of sugarcane to khandsari manufacture is not the only reason for decrease in production of sugar, there are other reasons also ; and if so, what are the measures which the Government propose to take to remove those other reasons ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अभी तो स्पर्धा ही एक कारण है । दूसरा कारण यह भी है । कि गन्ने की किस्म अच्छी हो और अन्य बातें भी हैं । गन्ने की अच्छी किस्म का विकास करना है और यह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है ।

श्री क० ना० तिवारी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलमालिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि निर्धारित लक्ष्य कितना था और इस में कितनी कमी हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मैं पूरे वर्ष के आंकड़े नहीं दे सकता हूं, परन्तु गत वर्ष इस अवधि में लगभग 5.2 लाख उत्पादन हुआ था जबकि इस वर्ष वे 4.2 लाख तक पहुंच पाये हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : As the price of gur is higher, more sugar cane is being diverted to gur manufacture. Have the Government, therefore, any scheme to link the prices of sugar and gur in such a way that there is no such difficulty and in order to get more money the people are not to think of whether the sugar-cane should be utilized for gur manufacture or for sugar manufacture ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सभी मामले सेन आयोग को निर्दिष्ट किये गये हैं और वे चीनी के कारखानों में उत्पादन और मूल्य के समस्त पहलू पर भी विचार कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में उन की रिपोर्ट मिल जानी चाहिये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गन्ना उगाने वालों की गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग के पीछे यह धारणा है कि इस से होने वाली आय का बड़ा भाग मिल मालिकों को मिलता है और क्या सरकार इस का अध्ययन करने के लिये इस मामले को प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट करना चाहती है कि चीनी उत्पादन तथा वितरण पर कितना खर्च आता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने अभी बताया है कि यह मामला सेन आयोग को सौंप दिया गया है ।

श्री प्र० रे० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पंजाब में चीनी मिलों को गन्ना देने के लिये एक कोटा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो इस की प्रतिशतता क्या है और इस से चीनी पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पंजाब में उन्होंने कारखाना क्षेत्र में गुड़ और खण्डसारी के लिये गन्ने को पेरने की मनाही कर दी है और इस से चीनी के कारखानों को कुछ सहायता मिली है और अब वे उन से गन्ना लेते हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know the number of mills in western Uttar Pradesh which have been closed or are going to be closed and what would be the difference in the quantity of sugar which was manufactured by these mills last year and which will be produced this year ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य में अन्तर के बारे में, मैं ने पहले ही आज तक के आंकड़े दे दिये हैं । इस का अन्त क्या होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है । मिल कब तक बन्द हो जायेंगे इसके बारे में भी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister said that the millowners in western Districts had raised the price by 52 paise. May I know how this 52 paise per quintal would be met; whether the Government would give subsidy for this or it would be met by themselves ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैंने पहले कहा है कि चीनी के लिये गन्ने को खरीदने पर 'कर' बढ़ा दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त सरकार ने मौसम के दौरान अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतें भी दी हैं। वे इस का लाभ उठा कर अधिक कीमत दे रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंहजी : देश के कई हिस्सों में, विशेषतया उन राज्यों में, जिन को इस के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, चीनी की पहले ही काफी कमी है। क्या इस उद्योग में संकट आने से चीनी की कमी वाले राज्यों में चीनी की सप्लाई पर इसका कुछ असर पड़ेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने पहले ही कहा है कि यद्यपि इस क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई है परन्तु देश में समूचे तौर से गत वर्ष की तुलना में स्थिति काफी अच्छी है और हमें आशा है कि इस वर्ष 30 लाख मीट्रिक टन के हमारे लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।

Shri Tulsidas Jadhav : There is no such difficulty in South India where there are co-operative sugar factories, whereas this trouble arises in North India because of individual ownership. Are the Government considering to have such factories in co-operative sector instead of let them run, on the basis of individual property ownership ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सभी नई मिलें सहकारी क्षेत्र में होगी ।

Shri K. D. Malaviya : Do the Government not think that time has now come that a sort of co-operative society of the cane-growers,the sugar manufacturers and the sugar sellers might be formed or this industry might be nationalised ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चीनी उद्योग का जल्दी राष्ट्रीयकरण करने का अभी कोई विचार नहीं है। परन्तु सभी नई मिलें सहकारी क्षेत्र में होंगी।

Shri Buta Singh : Has this been brought to the notice of the Government that the main reasons for decrease in the production of sugar-cane are : non-availability of good seeds and manure and non-eradication of cane-disease known as 'Gurdaspur Borer' : and if so, whether Government taking any measures to do the needful and to give such other facilities to farmers so that the production of the sugar-cane is increased ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अच्छे बीज देने के लिए कदम उठा रहे हैं जिस से प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो और गन्ने से अधिक चीनी निकाली जा सके। जितनी खाद उपलब्ध है उसमें से कुछ का उपयोग अनाज के लिए करना होता है तथा कुछ का गन्ने के लिए इसीलिये कम खाद उपलब्ध होती है। परन्तु जहां तक सम्भव है हम खाद दे रहे हैं।

श्री दे० द० पुरी : माननीय मंत्री ने कहा है कि पंजाब में कारखाने के क्षेत्रों में गुड़ बनाने को विनियमित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे कदम क्या हैं क्योंकि मालूम होता है कि उद्योग वालों को इन की जानकारी नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे बताया गया है कि पंजाब सरकार ने कारखाने के क्षेत्रों में गन्ना पेरने की मनाही कर दी है। ऐसा केवल सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी के आधार पर मूल्य निश्चित करने की नीति को अपनायेगी अथवा इस की बजाय देश में विभिन्न चीनी मिलों की चीनी के अलग अलग मूल्य निर्धारित करेगी जिस से गन्ना उगाने वाले कुछ लोगों को, जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, हानि न हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष एक परिवर्तन किया गया है। पहले 9.4 प्रतिशत चीनी मिलने पर बुनियादी मूल्य 1.86 रुपये निर्धारित किये गये थे। परन्तु अब 10.4 प्रतिशत से कम चीनी मिलने वाले हर प्रकार के गन्ने का मूल्य 2 रुपये प्रति मन रखा गया है। यह परिवर्तन विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की मांग पर किया गया है कि न्यूनतम मूल्य 2 रुपये प्रति मन होना चाहिये। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये सभी मामले सेन आयोग के विचाराधीन हैं और हम उन की रिपोर्ट मिलने पर इस मामले को ठीक कर सकेंगे।

बेकारी बीमा योजना

*91. + श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी

श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री रा० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेकारी बीमा के प्रश्न पर विचार करने तथा अग्रिम परियोजना के लिए सिफारिश करने के बारे में सरकार ने एक समिति बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). योजना का मसौदा विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है और विभिन्न समितियों के विचाराधीन है और उन में से एक समिति इस प्रयोजना के लिए विभाग द्वारा स्थापित की गई है ।

Shri Yashpal Singh: Have any suggestions been invited from the State Governments ?

श्री जगन्नाथ राव : राज्य सरकारों का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : What would be the total expenditure on the scheme ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : The expenditure is being worked out.

Shri M. L. Dwivedi : May I know the names of the members of the Committee which examined it and what are their recommendations ?

श्री जगन्नाथ राव : यदि वह वैभागिक समिति का उल्लेख कर रहे हैं तो सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इस के अध्यक्ष हैं और इस के सदस्य रोजगार महानिदेशक श्री अजंनेयूलू, डाक तथा तार कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के सामान्य सचिव, संयुक्त वाणिज्य मंडल का एक प्रतिनिधि तथा एक श्री पी० आर० गुप्त हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : समिति कब प्रतिवेदन को तैयार कर लेगी और सरकार को प्रस्तुत कर देगी ?

श्री जगन्नाथ राव : इस में कुछ समय लगेगा ।

Shri Onkarlal Berwa: May I know the total number of unemployed persons if the survey has been carried out ?

श्री जगन्नाथ राव : लगभग 15 लाख श्रमिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं, इस के अन्तर्गत आयेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the recommendations made by the committee have been implemented ?

Shri A. K. Sen : No recommendation has so far been made.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या समिति सभी लोगों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी जैसी वृद्धावस्था सहायता योजना में व्यवस्था है ?

श्री जगन्नाथ राव : वह एक अलग प्रश्न है ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने कुल बेकारों का, जिस में पूरा काम न पाने वाले सम्मिलित हैं, अनुमान लगाया है ?

श्री जगन्नाथ राव : वह एक व्यापक प्रश्न है । देश में बेकारों की गणना करना इस सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए सम्भव नहीं है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या सरकार ने काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत शिक्षित तथा प्रवीण बेकारों को कुछ सहायता देने के लिये अपेक्षित वित्त का अनुमान लगाया है ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं । यह योजना केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो 500 रुपये से कम वेतन पा रहे हैं और जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं । यह अन्य श्रमिकों पर लागू नहीं होती है ।

श्री राम सहाय पांडेय : इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा और उन लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये जो इस योजना के अधीन लाभ उठाना चाहते हैं ?

श्री अ० कु० सेन : योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने फैसला कर लिया है कि किस श्रेणी के व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आयेंगे ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने कहा है यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं और जो 500 रुपये से कम वेतन पा रहे हैं और जो कुछ अंशदान दे सकते हैं मालिक भी कुछ अंशदान देंगे ।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम को खड़े नहीं रहना चाहिये । खड़े होने के पश्चात् उन्हें बैठ जाना चाहिये । उनके खड़े रहने के दौरान पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं । ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें देखा अथवा नोट नहीं किया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या लूले-लंगड़े और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति भी इस योजना में शामिल हैं ? क्या मैं इस योजना के अधीन दी जानी वाली सहायता का ब्योरा जान सकती हूं ?

श्री जगन्नाथ राव : इस योजना में विकलांग व्यक्ति शामिल नहीं हैं ।

श्री प० ह० भील : क्या निवृत्तिवेतन पाने वाले इस बेकारी बीमा योजना में शामिल हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं ।

खाद्य उत्पादन

\+

*92. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जं० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० कें० देव :
श्री गुलशन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से खाद्य उत्पादन बढ़ाने के देशव्यापी आन्दोलन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि विकास सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए पहले ही एक वृहत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले दो वर्ष से कुछ विशेषरूप से चुने हुए क्षेत्रों में सघन खेती के कार्यक्रमों तथा अधिक धन की व्यवस्था द्वारा कार्यों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये हैं । विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, उर्वरक वितरण, सुधरे बीजों तथा वनस्पति-रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जून, 1964 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णय को दृष्टि में रखते हुए पिछले कुछ महीनों से फल, सब्जी, दूध, मांस अण्डे और मछली आदि गौण खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं ।

श्री ईश्वर रेड्डी : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण और उर्वरक वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि पहले के वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छोटी सिंचाई और उर्वरक वितरण पर कितना अतिरिक्त धन व्यय किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : योजना में किये गये आवंटन के अतिरिक्त, 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम मंजूर की गई है। बाद में छोटी सिंचाई के लिए 5.84 करोड़ रुपये और मंजूर किये गये ।

श्री ईश्वर रेड्डी : मेरा प्रश्न उर्वरक वितरण के बारे में था।

श्री शाहनवाज खां : उर्वरक का देश भर में वितरण किया जा रहा है।

श्री दाजी : श्रीमन्, औचित्य प्रश्न पर। माननीय सदस्य ने पिछले दो वर्षों में उर्वरक के वितरण के बारे में प्रश्न पूछा है जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष हमने 400,000 टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का वितरण किया । इस वर्ष हम 6,00,000 टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का वितरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक छोटी सिंचाई कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हमने अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी है । ये आंकड़े बजट पेश होने के समय उपलब्ध होंगे। अभी मैं आंकड़े नहीं बता सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : देश के विभिन्न भागों में पिछले वर्ष की तुलना में सघन खेती क्षेत्र में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये आंकड़े हर राज्य में भिन्न-भिन्न हैं । जब कि कुछ राज्यों में सघन कृषि विकास जिलों में काफी अच्छा काम हुआ है, अन्य राज्यों में इतनी अधिक प्रगति नहीं हो पायी है। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में, जहां सफलता मिली है, 1963-64 में वृद्धि पहले वर्ष से लगभग 9 से 20 प्रतिशत तक है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether Government are thinking over doing cultivation on the land lying around the railway line and other land so as to increase the production ?

Shri Shahnawaz Khan : The Government have no intention of doing cultivation on the land lying around the railway line but arrangements are being made to distribute this land to cultivators.

श्री प्रभात कार : छोटी सिंचाई कार्यक्रमों में उर्वरक और पानी के इस्तेमाल की प्रतिशतता क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उर्वरकों का हम पूरा-पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वर्ष 400,000 टन और अगले वर्ष 6,00,000 टन उर्वरक का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जहां तक छोटी सिंचाई कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हम यह प्रयत्न करते हैं कि सारा पानी इस्तेमाल किया जाए। कई राज्यों में तो यह फौरन इस्तेमाल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में, नल-कूपों के बारे में जहां नहरें आदि खोदी जानी हैं, समय लगता है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस बारे में कदम उठा रहा है कि यथासंभव शीघ्र पानी पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाए ।

श्री बड़े : विवरण में कहा गया है कि :

> "पिछले कुछ महीनों से फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडे और मछली आदि गौण पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ।"

क्या राज्यों से इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि धन की कमी के कारण वे इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते ? क्या सरकार ने राज्यों को, उदाहरणतः मध्य प्रदेश राज्य को, कोई धन दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले कुछ महीनों में हमने १५ करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं। यह योजना से भिन्न व्यय की योजनाएं हैं और इन पर सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसके बावजूद भी अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में योजनाएं मंजूर नहीं की हालांकि हमने धन का आवंटन कर दिया था। कुछ अन्य राज्यों में क्रियान्विति धीरे-धीरे हो रही है। मैं इस मामले पर विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा हूं ।

श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह था कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कोई धन दिया है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, हमने राज्यों को धन दिया है ।

श्री बड़े : मैंने मध्य प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस समय ये आंकड़े नहीं दे सकते ।

श्री बड़े : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम मैंने ऐसा कहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the quantity of fertiliser imported so far, and the quantity of indigenous fertiliser utilised by the cultivators ? Is our fertiliser is costly and if so, the action being taken by the Government to lowering down the price so as to enable the cultivators to use it more and more ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयात लगभग २५०,००० मेट्रिक टन नाइट्रोजन है । आयातित लागत देशी लागत से कम है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Our fertiliser is costlier than the imported fertiliser. Are Government trying to cut down the price so the cultivators use it more and more ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, जहां तक उरिया का सम्बन्ध है, हमने मूल्यों में १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन की कमी की है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि अनुसंधान कार्य पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और फिर भी हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १० करोड़ मेट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कारण भी कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी त्रुटिपूर्ण है, इस स्तर पर आरम्भ की गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना संभव नहीं हो रहा है ? यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्रियों के परामर्श से राज्य स्तर पर कृषि व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाएगी ताकि योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकें और निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ हद तक यह सच है । हम इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था के लिये किस प्रकार कृषि प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन कर सकते हैं ।

Shri Gulshan : May I know whether some thought has been given to irrigate the fallow land with tube-wells in the country ? If so, whether it is also being considered to give the fertiliser and agricultural implements at the cheaper rates ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । यदि उपयुक्त सर्वेक्षण किया जाये और यह लाभप्रद और तकनीकी रूप से संभावित नजर आये तो ऐसी स्थिति में छोटी सिंचाई कार्यक्रमों पर किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गई है । अतः हम इतने छोटी सिंचाई कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं जितने उपयुक्त सर्वेक्षण और जांच के आधार पर संभावित हों । जहां तक औजारों का सम्बन्ध है, हम अधिकाधिक औजार बना रहे हैं और इससे लागत कम होगी ।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार की सामान्य कुएं बनाने की भी कोई योजना है । किसानों को तकावी और ऋण देने के बजाय, जो कभी भी पर्याप्त नहीं होते, सरकार को कुएं खोदने चाहियें और उसकी लागत किस्तों में किसानों से वसूल की जाए ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न किसानों को कुएं बनाने के लिए दिए जाने के लिए एक तकावी ऋण कार्यक्रम है लेकिन इस बारे में मुझे पता नहीं है कि यदि सरकार कुएं खोदने का कार्यक्रम शुरू करे और लागत किसानों से वसूल करे तो वह सस्ता पड़ेगा ।

श्री रंगा : क्या हम यह समझें कि सरकार द्वारा उर्वरक के मूल्य १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन कम कर दिये जाने के बाद भी किसान ग्राम स्तर पर उर्वरकों के लिए जो मूल्य देते हैं वह आयात उर्वरक के मूल्य से अधिक है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। मूल्य कुछ अधिक है। हम एक 'मिश्रित मूल्य' निर्धारित करते हैं जो आयातित उर्वरक और देशी उर्वरक को इकट्ठा करके निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य पर हम इसे मंडी में बेच सकेंगे क्योंकि इसकी बहुत मांग है लेकिन उत्पादन अधिक होने पर मुझे शक है कि इस मूल्य पर हम सारा उर्वरक नहीं बेच सकेंगे। इसलिए इस पर फिर विचार करना होगा। हमने उत्पादन, मूल्य और वितरण के समूचे मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त कर दी है और हमें आशा है कि कुछ ही महीनों में हमें रिपोर्ट मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए हैं लेकिन उन्हें मेरी कठिनाई भी समझनी चाहिए। जिन लोगों ने प्रश्न की सूचना दी है, उन्हें प्राथमिकता देनी होती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि भूमि के टुकड़े भी कम उत्पादन के कारण हैं, यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भूमि सुधार नीति को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जब तक कि हम कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर न हो जायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भूमि की अधिकतम सीमा का प्रश्न बड़ा पेचीदा प्रश्न है लेकिन टुकड़े एक भिन्न समस्या है। हम अब विभिन्न राज्यों में भूमि के टुकड़ों को मिलाने का काम कर रहे हैं।

डा० पं० शा० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि जब ४००, ००० टन नाइट्रोजन का आयात किया गया तो उर्वरक की कितने प्रतिशत मांग पूरी की गयी और इस वर्ष जब ६००,००० टन का आयात किया जाएगा तो कितने प्रतिशत मांग पूरी की जाएगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा अनुमान यह है कि पिछले वर्ष हमने ७५ से ८० प्रतिशत तक मांग पूरी की। लेकिन इस वर्ष ६००,००० टन उर्वरक उपलब्ध होने पर भी हम केवल दो तिहाई मांग ही पूरी कर सकेंगे।

श्री पु० र० पटेल : कृषि पर अधिकाधिक धन खर्च करने के बावजूद और अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक आयात करने के बावजूद हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। क्या यह इस कारण है कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषक संगठनों से सहयोग नहीं मिला है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस कारण उत्पादन नहीं रुका है। मौसम का भी इसमें हाथ रहा है। लेकिन इस वर्ष सभी प्रयत्नों से उत्पादन बढ़ रहा है। इसी कारण हम ८७० लाख टन के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमें आशा है कि अगले वर्ष ९५० लाख टन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने साधन जुटा लिए हैं और सभी साधनों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना है कि अगले वर्ष उत्पादन कार्यक्रम कैसा चलता है।

श्री तिरुमल राव : क्या माननीय मंत्री अथवा मंत्रालय को पता है कि छोटी सिंचाई दल योजना परियोजना समिति के अन्तर्गत कार्य कर रहा है और इसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बारे में अनेक रिपोर्टें दी हैं जिनमें छोटी सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के महत्व और त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में उनको पता है और इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इन रिपोर्टों के आधार पर सही कार्रवाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

वनस्पति में रंग मिलाना

+

*93. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति में मिलाये जाने योग्य रंग का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री दी० चं० शर्मा : पिछले तेरह वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ना में दिया जाता रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार के पास वैज्ञानिकों की इतनी कमी है कि वे अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर सके और इस देश में वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि हम किसी परिणाम पर पहुंच सकें ?

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि यह इतनी अकुशल है, वह यह जानना चाहते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे पता है कि आपके पास कमी है । मैं 'अकुशलता' शब्द पसन्द करता हूं क्योंकि हर जगह यही देखने को मिलती है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि सरकार से उनका मतलब मंत्रियों से है तो मैं मानता हूं कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान बहुत कम है । लेकिन हमने यह कार्य करने के लिए अन्य वैज्ञानिक नियुक्त किए हैं और उनको भी इसका हल ढूंढने में कठिनाई हो रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार के लिए यह खुशी की बात है कि वे इसका हल नहीं ढूंढ सके ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार पर वनस्पति निर्माताओं का बड़ा प्रभाव है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला करने में विलम्ब करती जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात सही नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : In view of delay in colourising vanaspati, are Government prepared to form concentration camps so that they could not poison the public like this ? The Government should say something at least.

Mr. Speaker : If he comes in power, he would definitely form concentration camps.

Shri Jagdev Singh Sidhanti : If the experts of the Government are unable to find the colour for vanaspati, why the Government do not consult those who are experts in deceiving the public in selling spurious drugs and indulging in adulteration.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है जिस पर सरकार चाहे तो विचार करे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : वनस्पति में रंग मिलाने का इरादा मिलावट रोकना है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने वनस्पति तेल के जमाये जाने और इस वनस्पति तेल को शुद्ध तेल के रूप में बेचे जाने की संभावना पर विचार किया है ताकि इसको मिलावट के लिए घी में न मिलाया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये कारखाने बहुत समय से चल रहे हैं । यह तो एक नीति विषयक मामला है कि उनको यह कार्य बन्द कर देने को कहा जाय या नहीं जिस का मैं प्रश्न-काल में उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of vanaspati factories licenced which are functioning in the country and whether the Government are prepared to suggest them as to when peppermint lozenzes and orange lozenzes are coloured why vanaspati could not be coloured ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस समय चल रहे वनस्पति कारखानों की संख्या नहीं बता सकता ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या वनस्पति निर्माताओं ने वनस्पति घी के लिए रंग ढूंढने के विरुद्ध कोई शिकायत अथवा विरोध-पत्र भेजे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं । उन्होंने कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि 'मारगेरीन' का जो योरोप और अमरीका में बहुत इस्तेमाल होता है, इसके जहरीले तत्व के कारण काफी विरोध हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या हमारा वनस्पति मारगेरीन से अधिक जहरीला है या नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वनस्पति के बारे में अनेक बार परीक्षण किया जा चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न दूसरा है । मैंने मारगेरीन के बारे में पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल वनस्पति से है ।

Shri A.S. Saigal : May I know that if this expert committee is unable to give its report properly and unable to find out some colour for colourisation of vanaspati, then would the Government would invite foreign experts to find out some colour for colourisation of vanaspati ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करूंगा । यदि वे कोई सिफारिश न कर सके तो मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा ।

Shri Parkash Vir Shastri : Today the impression among the public is that Government are unable to find some suitable colour for colouring vanaspati due to the fact that they are under the influence of vanaspati manufacturers. Would the Hon. Minister tell us as to by when the decision is likely to be taken ? The matter is hanging fire for years.

Mr. Speaker : Who can say as to when the decision is likely to be taken ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बता चुका हूं कि इसमें वनस्पति निर्माताओं से डरने का कोई प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि समस्या को कब तक हल कर दिया जाएगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मैं कोई समय नहीं बतला सकता ।

कृषि मूल्य आयोग

+

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

*94. श्री दे० जी० नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ग) इसके मुख्य कृत्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग का एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य तथा दो या तीन अंशकालिक सदस्य होंगे ।

(ग) निर्देश पदों के अनुसार आयोग के मुख्य कार्यालय निम्न प्रकार होंगे :—

1. खेती की जिन्सों, खासकर धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और अन्य दालों, गन्ना, तिलहन, कपास और पटसन की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना ताकि ऐसे संतुलित तथा समन्वित मूल्य ढांचे का विकास हो सके जिसमें देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का उचित ध्यान रखा जाए ।

2. समय समय पर विभिन्न जिन्सों के सम्बन्ध में मूल्य नीति को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ।

3. विभिन्न प्रदेशों में कृषि जिन्सों के विपणन सम्बन्धी चालू तरीके और विपणन के खर्चों का निरीक्षण करना, विपणन के खर्च में कमी करने के उपाय सुझाना,

और विपणन के विभिन्न स्तरों के लिए उचित मूल्य सीमा की सिफारिश करना ।

4. बदलती हुई मूल्य स्थिति पर पुनर्विचार करना और आवश्यकता होने पर समस्त मूल्य नीति को सामने रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना ।

5. मूल्य नीति से सम्बन्धित अनुसन्धान और कृषि मूल्य तथा अन्य सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने की व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करना और उनमें सुधार करने का सुझाव देना ।

6. कृषि मूल्य तथा उत्पादन सम्बन्धी उन सभी समस्याओं पर सलाह देना जो समय-समय पर सरकार उनके पास भेजें ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उत्तर बहुत लम्बा है । यदि इसको पढ़ने की बजाय सभा पटल पर रख दिया जाता तो हमें प्रश्न पूछने के लिए समय मिल जाता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह लम्बा था तो इसको विवरण के रूप में सभा पटल पर रख देना अच्छा होता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इस आयोग के कार्य में किसी अच्छे किसान का सहयोग प्राप्त किया जाएगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस पर विचार किया जा रहा है । वे अंशकालिक सदस्यों के रूप में होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*95. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छिपाये हुऐ अनाज का पता लगाना

*96. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में राज्यवार कितनी मात्रा में छिपाये गये अनाज का पता लगा है और कितने बड़े जमाखोरों को दण्डित किया गया है; और

(ख) सामान्यत: खाद्यान्नों के अधिक मूल्य होने तथा राजस्थान और पंजाब जैसे कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3829/65]** ।

(ख) 1962-63 और 1963-64 में लगातार 2 बार गेहूं की उपज में भारी कमी होने और अन्य अनाजों की उपज में अस्थिरता रहने के कारण खाद्यान्न के भाव बढ़ गये हैं। इस वर्ष, खरीफ की अच्छी फसल होने से मंडियों में आमद सुधर रही है और भावों में गिरावट का रुख आ रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि राजस्थान और पंजाब में कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।

कलकत्ता पत्तन

*97. **श्री ज० व० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में कलकत्ता पत्तन में जहाजों के ठहरने का स्थान काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थान की इस कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पिछले वर्षों में कलकत्ता पत्तन में ठहरने के स्थान में कोई कमी नहीं हुई है। इस पत्तन में 112 घाट हैं, जिनमें कलकत्ता जेटियों पर 5 नदी तट घाट, डाक न० 1 और डाक 2, किद्दरपुर डाक में 25 घाट, किंगजार्ज डाक में 9 घाट, गार्डन रीच में 5 नदी तट घाट, किद्दरपुर डाक में बाजू में काम करने के लिए 8 लंगरगाह, किंगजार्ज डाक में बाजू में काम करने के लिए 6 लंगरगाह, बाजू में काम करने के लिए और जहाजों की मरम्मत के लिये 46 नदी लंगरगाह, और बजबज में तेल को रखने उठाने के लिए 8 नदी तट के घाट हैं। इन घाटों में लगभग 12 मिलियन टन का माल धरा उठाया जा सकता है बशर्ते कि जहाजों को ठीक स्थानों पर रोका जाये, जहाजों के रुकने पर माल शीघ्र उतारा और हटा दिया जाये और मजदूरी की निकासी सन्तोषजनक हो। पत्तन पर अब 11 मिलियन टन के लगभग माल धरा उतारा जाता है।

(ख) पत्तन में पर्याप्त स्थान होने पर भी जहाजों को रुकना पड़ता है। इसके कारण ये हैं :--

(1) माल में अनुपातिक वृद्धि हुये बगर पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या में वृद्धि।

(2) ज्वार की तीव्रता और बारम्बारता में वृद्धि के कारण, जो महीने में दो बार होता है, घाट में ठहरने की कमी, जिसके कारण नदी तट के घाटों और नदी लंगरगाहों के व्यवहार में थोड़ी बहुत कमी करनी पड़ी है।

(3) जहाजों के नियत समय पर न आने के कारण जमघट का होना।

(4) मजदूरों की निकासी में घटबढ़ के कारण घाटों में देरी तक भीड़ का रहना और नौचालन अधिकारियों के कुछ अनुभागों द्वारा धीरे धीरे काम करने के अपनाये गये तरीके।

(ग) किंग जार्ज डाक के पश्चिमी बाजू को विस्तृत करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की लागत की प्राक्कलित परियोजना हाथ में ली गई है। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर जहाजों के ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था हो जायेगी और बाजू में काम करने की सुविधा हो जायेगी। मजदूरों की निकासी बढ़ाने के लिए तटीय मजदूरों के लिए एक प्रोत्साहन टनभार योजना चालू की गई है और जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी वैसी ही एक योजना चालू करने पर विचार किया जा रहा है। माल को उतारने धरने में शीघ्रता करने के लिए अतिरिक्त मशीनों का क्रय आदेश दिया गया है। डाक नं० 1 और किद्दरपुर डाक के विभिन्न घाटों पर 3 से 5 टन की क्षमता के 43 बिजली के क्रेनों, और किद्दरपुर डाक के कोयला घाटों पर 5 पांच टन के क्रेनों की व्यवस्था के लिये 150 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। ये क्रेन पुरानी द्रविक क्रेनों की जगह लगाये गये हैं जो चलने में सुस्त थे और माल पर ठीक तरह से पहुंच नहीं सकते थे।

Sale of Standing Crops

*98. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some States particularly in Uttar Pradesh

and Madhya Pradesh, the hoarders purchase standing crops of foodgrains ; and

(b) if so, whether there is any proposal to ban the sale of standing crops ?

The Minister for Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) No case of hoarders purchasing standing crops of foodgrains has come to the notice of Government so far.

(b) Does not arise.

आस्ट्रेलिया से गेहूं

*99. महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अन्न संकट को दूर करने के उद्देश्य से गेहूं के आयात के लिए बारह महीनों के कार्यक्रम के बारे में हाल में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) गेहूं की पहली किश्त कब तक भारत पहुंचने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारतीय शिष्ट-मंडल ने जो अभी अभी आस्ट्रेलिया भ्रमण पर गया था, 125,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय करने का करार किया है। गेहूं के पहले पोत की भारत में फरवरी में पहुंचने की सम्भावना है ।

गंगा नदी पर पुल

*100. श्री गों० महंती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० प्र० शर्मा :

क्या **परिवहन** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी पर बनाये जाने वाले पुल के बारे में आर्थिक अध्ययन पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, अध्ययन पूरा होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चुनाव याचिकायें

श्री विभूति मिश्र :
श्री के० ना० तिवारी :
श्री गुलशन :
*101. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आम चुनाओं के बाद दी गई बहुत सी चुनाव याचिकायें अभी तक न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन याचिकाओं के शीघ्र निबटारे के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) 1962 के आम चुनावों से सम्बद्ध चुनाव याचिकायें, जो कि 10 फरवरी, 1965 तक विचाराधीन थीं, इस प्रकार थीं :—

(1) चुनाव न्यायाधिकरणों के समक्ष 31 चुनाव याचिकायें,

(2) उच्च न्यायालयों के समक्ष 15 अपीलें,

(3) उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 अपीलें ।

(ख) चुनाव न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग न्यायाधिकरणों से यह निवेदन करता रहा है कि वे अधिक समय देकर याचिकाओं का शीघ्र से शीघ्र निबटारा करें और इस प्रयोजन के लिए समय समय पर उच्च न्यायालयों की सहायता पाने का भी प्रयास करता रहा है ।

सरकार के लिए यह उचित न होगा कि वह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्षस्थ अपीलों के निबटारे में हस्तक्षेप करे ।

मध्य प्रदेश के नगरों के साथ विमान द्वारा सम्पर्क

*102. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 17 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक उड्डयन विकास निधि से राज्य सहायता देकर राज्य के महत्वपूर्ण नगरों का विमान द्वारा दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करने के विषय में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इस मामले में राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*103. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना संतोषजनक रूप से नहीं चल रही है ;

(ख) क्या योजना के कार्यकरण को नया रूप देने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की गई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन सम्भवत: कब तक दे देगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) समय-समय पर योजना के संतोषजनक रूप से ना चलने के समाचार मिलते रहते हैं ।

(ख) हां । समिति कार्यकरण को नया रूप देने सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

(ग) 1965 के मध्य में ।

उर्वरकों की बिक्री के लिए उधार कार्ड प्रणाली

*104. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कृषकों के लिए 'उधार कार्ड प्रणाली' चालू करने

की योजना बनाई है ; ताकि वे उर्वरक खरीद सकें ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

खण्डों (जोनों) की समाप्ति

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

*106. **श्री हेम राज :**
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बाल्मीकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार के अनाज, खांडसारी तथा

तिलहन के लाने ले जाने के लिए वर्तमान खंड व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में निश्चित स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इस समय गेहूं, चावल और कुछ मोटे अनाजों के संचलन पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध और खंडसारी के संचलन पर भी अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध है। गुजरात में मूंगफली के संचलन और उत्तर प्रदेश में तोरिये और सरसों के संचलन पर प्रतिबन्धों को छोड़ कर तिलहन के संचलन पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबन्ध नहीं है ।

यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल चावल और मोटे अनाजों के संचलन पर प्रतिबन्ध जारी रहें और गेहूं के बारे में स्थिति की शीघ्र ही समीक्षा की जाए ।

Elections in Kerala

*107. **Shri Yashpal Singh :**
Shri S.M. Banerjee :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Rameshwar Tantia :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the elections to Kerala Legislative Assembly have been postponed for two weeks ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law (Shri A.K. Sen) : (a) and (b). The Election Commission, after consulting representatives of the political parties and also the State authorities, considered that the general election to the Kerala Legislative Assembly might be held on the 15th February, 1965. However, on considering a representation that an important convention of the Christian Community was to be held between the 7th and 14th February, 1965, and that the holding of the poll during the middle of February would cause considerable hardship to a large number of Christians in the State, the Election Commission reconsidered the position and recommended that the date of poll throughout the State might be fixed on the 4th March, 1965.

अन्तर्देशीय जल परिवहन

*108. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री चांडक :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो प्रगति हुई है उसका पुनरीक्षण किया है ।

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी योजनाओं के लिये तीसरी योजना में कुल कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(घ) अब तक कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए अनुमानतः 640 लाख रुपये की योजनाएं मूलतः इस मंत्रालय की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल की गयी थी। बाद में 252.18 लाख रुपये की लागत की अतिरिक्त योजनाएं भी उस आयोजना में शामिल की गयी । अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए तीसरी आयोजना में वित्तीय आवंटन 4 करोड़ रुपये तक सीमित रखा गया ।

(घ) अब तक किये गये 171.78 लाख रुपये के व्यय की सूचना प्राप्त हुई है ?

खाद्य निगम

*109. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का **खाद्य** निगम स्थापित हो गया है और उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष उपाय किये हैं कि देश भर में खाद्यान्न समान कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम ने पहली जनवरी, 1965 से ही कार्य आरम्भ किया है । आरम्भ में, निगम अपना संगठन बनाने के काम में लगा है जिससे कि वह सौंपे गये कार्य को भली प्रकार कर सके। यह शीघ्र ही दक्षिण में प्रभावी रूप से अपना कार्य आरम्भ कर देगा और बाद में यह अपनी गतिविधियां देश के दूसरे भागों में शुरू करेगा ।

दिल्ली के लिए पंजाब का गेहूं

*110. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के पदाधिकारियों का एक दल हाल में दिल्ली को पंजाब के गेहूं के संभरण को नियमित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विचार किया गया कि पंजाब से दिल्ली में गेहूं लाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं था लेकिन दिल्ली से निकटस्थ राज्यों में चोरी से गेहूं ले जाने को बन्द करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिएं ।

खाद्य स्थिति

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री ह्रा० ना० तिवारी :
श्री प० ह० भील :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

*111. श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम राज :
श्री मान सिंह पू० पटेल :
श्री प्र. चं. बरूआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ख) पिछले तीन महीनों में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्र से कितने खाद्यान्न देने की मांग की है, और

(ग) केन्द्र ने कितना खाद्यान्न आवंटित किया है और वास्तव में कितनी मात्रा का सम्भरण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) पिछली खरीफ की फसल के आने से देश की खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ख) और (ग). राज्यों की आवश्यकताओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से समय समय पर विचार किया जाता है और केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों की समस्त उपलब्धि और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सप्लाई की जाती है । नवम्बर, 1964 से जनवरी, 1965 के इन तीन महीनों में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को नियत की गयी और केन्द्रीय स्टाक से वास्तव में सप्लाई की गयी मात्रा बताने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3830/65]।

Merger of Ministry of Community Development and Cooperation and Ministry of Food and Agriculture

**Shri Gokulananda Mohanty :
Shri S.B. Patil :
Shri A.N. Vidyalankar :
Shri J.B.S. Bist :
Shri Subodh Hansda :
Shri Daljit Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Surendrapal Singh :**

*112. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Maharajkumar Vijaya Ananda :
Shri Man Singh P. Patel :
Shri Surendranath Dwivedy :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Rameshwar Tantia :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri R. Barua :
Shri P.R. Chakraverti :
Shri Parashar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 297 on the 1st December, 1964 and state :

(a) the recommendations made by Shri V. Shankar to bring about effective co-ordination in the activities of Departments of Food and Agriculture and Community Development and Co-operation; and

(b) the decision taken by Government to implement these recommendations ?

Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) A statement showing the main recommendations of the report is placed on the table of the Sabha.

Statement

Shri V. Shankar's recommendations for bringing about effective coordination in the activities of the Departments of Food and Agriculture and Community Development and Cooperation have been summarised by him as follows :

(i) There should be a Department of Agricultural Research, Extension, Publicity and Planning which should be under a Secretary and appropriate number of supporting Joint Secretaries and other staff. The Indian Council of Agricultural Research should be under this Department and the Secretary and other appropriate officers should be ex-officio officers of the Indian Council of Agricultural Research.

(ii) There should be a Department of Agricultural Production and Administration under a Secretary assisted by a Special Secretary and two Additional Secretaries, one Additional Secretary dealing with the Community Development and Panchayati Raj, the Special Secretary dealing with Administration, Coordination, Forestry and certain common services in the Ministry, and the second Additional Secretary dealing with Intensive areas and Intensive Agricultural Development Programmes.

(iii) Department of Cooperation should be under a Secretary or a Special Secretary with such assistance as may be required.

(iv) Department of Food should be under a Secretary dealing with the present subjects allotted to the Food Department, except research and production of sugarcane and related matters, but with the addition of Marketing at present allotted to the Department of Agriculture.

It should also deal with export of agricultural commodities or agricultural based industrial products, in so far as these matters are dealt by the Ministry of Food and Agriculture.

To secure coordination within the Ministry, the Minister for Food and Agriculture may meet as often as convenient but at least once a month, his Ministerial colleagues and the Secretaries and Special or Additional Secretaries, to take stock of the progress of the plan and connected activities of these Departments, to deal with matters requiring coordination, and to dispose of matters which might be creating inter-departmental difficulties and delays within the Ministry. The meeting should also be used to promote collective thinking in the Ministry on important matters of planning and policies and to ensure that all the Departments are keyed up to the required efforts for the successful and effective implementation of the plan.

(b) The recommendations are under examination and a decision would be taken thereafter.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

*113. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
डा. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के निकट वाइकाउण्ट दुर्घटना पर जस्टिस खोसला के प्रतिवेदन में बताई गई इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा असैनिक उड्डयन निदेशालय की कमियों के बारे में की गई जांच में कोई निष्कर्ष निकाल लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). आगरा के निकट वाइकाउण्ट विमान दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट में जस्टिस खोसला ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और नागर विमानन के महा-निदेशक के संगठन की खामियों के बारे में जिन आठ बातों का उल्लेख किया है उन में से पांच बातों के विषय में उपचारी कार्यवाही की जा चुकी है । शेष बातों के बारे में कार्यवाही हो रही है ।

नगरों में राशन व्यवस्था

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

*114. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रभात कार :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कोल्ला बैंकेया :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो महीनों में देश के विभिन्न शहरों में खाद्य का राशन करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शहरों में राशन हो गया है ; और

(ग) प्रत्येक शहर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना और किस किस्म का खाद्यान्न दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि. सुब्रह्मण्यम) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सांविधिक राशन व्यवस्था केवल कलकत्ता नगर में लागू की गयी है । प्रत्येक प्रौढ़ को प्रति सप्ताह 1.20 किलोग्राम चावल और 1.20 किलोग्राम गेहूं और/या इसके पदार्थ और प्रत्येक बच्चे को इसकी आधी मात्रा राशन में मिलती है । भारी शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति के लिये प्रति सप्ताह गेहूं और/या इसके पदार्थों की मात्रा 1.80 किलोग्राम है ।

गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल

*115. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दिसम्बर, 1964 के अन्त में पश्चिम उत्तर

प्रदेश के गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल की थी जिस के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की चीनी मिलें या तो पूर्णतः बन्द हो गयीं या उन में उनकी क्षमता से बहुत कम उत्पादन हुआ ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने वालों की मागें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संकट का चालू फसल में उत्तर प्रदेश में चीनी के समूचे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल करने वालों ने गन्ने की कीमत में वृद्धि की मांग की है ।

(ग) इस से उत्पादन पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है ।

खाद्यान्न का आयात

*116. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रमिकों की हड़ताल के परिणाम स्वरूप, जिस से एटलांटिक तथा मैक्सिको की खाड़ी के सभी बन्दरगाहों से सभी जहाजों का आना बन्द हो गया था, भारत को अमरीकी अनाज का आना रुक गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितनी हानि हुई ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि खाड़ी बन्दरगाहों पर जहां हमारे खाद्यान्न के जहाज रुके हुये हैं, वहां अभी भी हड़ताल जारी है, इसलिये इस समय हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

Khadi and Village Industries

180. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri K.C. Pant :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Khadi and Village Industires Commission on Khadi and Village Industries State-wise during 1964 ;

(b) the assistance given by the Commission, State-wise during the above period ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken for popularising Khadi and Village Industries among the masses in rural areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) to (c) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

गज़ल-रानीगंज राष्ट्रीय राजपथ

181. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन** मंत्री 17 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ 34 के गज़ल-रानीगंज भाग के निर्माण-कार्य को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या चिरामती नदी पर पुल का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सड़क अब यातायात के लिये खुल गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रथम चरण के कार्य, अर्थात् कटाई और भराई, रोड़ी डालना आदि पूरे कर लिये गये हैं । दूसरे चरण के कार्य, अर्थात्, रोड़ी की सतह को जहां भी आवश्यक हो मोटा करना और सतह को काला करना, प्रगति पर हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) आशा ह कि सड़क यातायात के लिये अप्रैल, 1965 में खुल जायेगी ।

वनीकरण

182. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वनीकरण कार्यक्रम के सहायतार्थ रूमानिया ने शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की कलमें और पनीरियां देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्योरा क्या है, और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). रूमानिया के मंत्री तथा उन के तकनीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान भारत में परीक्षण के लिये पहाड़ी पीपल और बैत के नमूनों की पेशकश की गई थी। अग्रेतर ब्योरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

"फ्रीशियन" ढोर

183. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के फ्रीशियन कैटल क्लब ने बढ़िया नसल के 30 फ्रीशियन ढोर उपहार के रूप में भारत भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका अनुमानित मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) (क) और (ख). अपने भारत के दौरे में आस्ट्रेलिया की "फोर दोज़ हू हैव लस" समिति के प्रधान ने भारत में ढोरों की विशुद्ध नस्ल बनाये रखने तथा संकरण द्वारा भारत के ढोरों की नस्ल सुधारने के लिये 30 "फ्रीशियन" ढोरों (15 सांड और 15 बछड़ियां) की मुफ्त भेंट की पेशकश की थी। पेशकश स्वीकार कर ली गई थी और यह निर्णय किया गया था कि हरिघाटा फार्म, पश्चिम बंगाल में पशुओं को रखा जाये जहां कि संकरण का काम पहले से प्रगति पर है। समिति से हाल ही में अनुरोध किया गया है कि वह ढोरों को जहाज द्वारा भेजे।

(ग) भेंट का अनुमानित मूल्य 1,20,000 रु० है। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार भाड़े, बीमे और अन्य संबंधी शुल्कों पर लगभग 58,000 रु० व्यय करेगी।

खाद्य निगम

184. श्री कर्णी सिंह जी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन बातों को ध्यान में रख कर भारत के खाद्य निगम के कार्यालय को मद्रास में स्थापित किया है ;

(ख) क्या यह निगम स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा या उनके मंत्रालय के साथ पूर्ण सहयोग से; और

(ग) नये सरकारी कार्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) चूंकि निगम की गतिविधियां प्रारम्भ में दक्षिण खण्ड में शुरू होंगी इसलिये चावल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त किये जाने की संभावना है। यह निर्णय किया गया था कि निगम के मुख्य कार्यालय को उस खण्ड में स्थापित करना सब से अधिक सुविधाजनक होगा। यह भी महसूस किया गया था कि इस प्रयोजन के लिये मद्रास सर्वोत्तम स्थान होगा।

(ख) यह निगम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के गहरे सहयोग से काम करेगा।

(ग) प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख कर सरकारी कार्यालयों को खास स्थानों पर रखा गया है।

कृषि कालेज

185. श्री वै० तेवर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में कृषि कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो मद्रास राज्य में यह कालेज खोलने के लिये कौन सा जिला चुना गया।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी गेहूं के मूल्य

186. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नदल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सोलंकी :
श्री मधुलिमये :
श्री गुलशन :
श्री बसुमतारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी गेंहू के मूल्यों को बढ़ाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन किन परिस्थितियों में वृद्धि की अनुमति दी गयी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1965 से मूल्य में वृद्धि की घोषणा होने के बाद विदेशी गेंहू के स्टाक छिपा लिये गये थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्कन्ध से दिये जाने वाले आयातित गेंहू की कीमत तथा देशी गेंहू तथा मोटे अनाज की थोक कीमतों में उचित संबंध बनाये रखने की दृष्टि से केन्द्रीय स्कन्ध से दिये जाने वाले

आयातित गेंहू का निर्गम मूल्य 1 जनवरी, 1965 से 37.51 रु० प्रति क्विन्टल से बढ़ा कर 48.00 रु० प्रति क्विन्टल कर दिया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

मछली पकड़ने का हल्दिया बन्दरगाह

187. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने का प्राथमिक सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर नमूने के तौर पर क्या प्रयोग किये जायेंगे और कितने समय तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हल्दिया में एक मछली पत्तन स्थापित करने के लिये कलकत्ता पत्तन प्रन्यास से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिये प्रार्थना की गई है ।

(ख) पत्तन के जलावरोध द्वारा[1] संबंधी आदर्श परीक्षण लगभग 6 से 8 महीने तक करने पड़ेंगे ।

भूमि संरक्षण

188. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि में सुधार करने के लिये वनों का परिरक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि कृषि भूमि में सुधार करने के उद्देश्य से वन परिरक्षण के लिये कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है, फिर भी लगभग सभी वन विद्या योजनाएं तथा मिट्टी संरक्षण के अन्तर्गत आने वाली वन विद्या से संबंधित योजनाएं उक्त उद्देश्य की पूर्ति करती हैं ।

(ख) वन विकास तथा मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वन विद्या कार्यक्रमों के लिये आवंटित राशियां इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रु०
(एक) वन विकास योजनाएं (केन्द्रीय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्य योजनाएं)	52.00
(दो) मिट्टी संरक्षण योजनाएं (केवल राज्य योजनाएं)	6.00
कुल	58.00

[1]Lock entrance.

इसके अतिरिक्त नदी घाटी योजनाओं के उपवाह क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण उपायों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 11.00 करोड़ रु० का उपबन्ध है, जिसका एक भाग वनरोपण तथा चरागाह विकास कार्यक्रमों के लिये रखा गया है ।

केरल में मीनक्षेत्र का विकास

189. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली उद्योग के विकास के लिये अधिक धन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना के लिये, जिस पर कि 5021.72 रु० व्यय होंगे, एक प्रारूप प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

Bye-Elections in Punjab

190. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the opposition Leaders have alleged that the Government machinery was misused in favour of the Congress Candidate during the recent bye-elections to the Legislative Assembly from Beas and Jind Constituencies in Punjab ; and

(b) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). No complaint has been received from opposition leaders regarding bye-elections to the Legislative Assembly from the Beas and Jind constituencies in Punjab.

The Election Commission, however, has received a complaint relating to the bye-election in the Jind constituency of the Punjab Legislative Assembly from Shri Inder Singh, a candidate at that election. A report has been called for from the State Government.

Milk Sale Depots

191. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the part time employment of students at the Milk Sale Depots of Delhi Milk Scheme has been discontinued ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of students who have been deprived of this benefit as a result of the discontinuance of such employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No.

(b) and (e) Do not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध इकट्ठा करना

192. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दिल्ली दुग्ध योजना ने राजधानी से तीन सौ मील तक की दूरी के प्रदेश में दूध इक्ट्ठा करने के लिये नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिये और वर्तमान क्षेत्रों से अधिक दूध एकत्र करने के लिए एक पूर्णकालिक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारी द्वारा अब तक किये गये प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने पंजाब के एक नये क्षेत्र, अर्थात्, जींद से दूध इक्ट्ठा करना आरम्भ कर दिया है । पंजाब के भटिंडा क्षेत्र से दूध प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है । दूध प्राप्त करने के वर्तमान क्षेत्रों का जहां तक संबंध है दुग्ध योजना ने दूध देने वालों को ठेके दे दिये हैं और यह शर्त तय की गई है कि प्रत्येक ऋतु में दूध की निश्चित मात्रा दी जायेगी ।

भुखमरी के कारण मौत

193. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में दिसम्बर, 1964 में भुखमरी के कारण हुई कुछ मौतों के बारे में जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मौतों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये इन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज भेजा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० र० चव्हाण) : (क) और (ख). गुजरात में भुखमरी के कारण हुई मौतों की कोई सूचना नहीं मिली है । इलाहाबाद से प्रकाशित 27 दिसम्बर, 1964 के एक हिन्दी दैनिक "भारत" म यह खबर छपी थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भुखमरी के कारण 4 मौतें हुईं । गोरखपुर जिले में ही इसी प्रकार के एक मामले की सूचना इस मंत्रालय को मिली थी । उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है कि गोरखपुर जिले में अनाज की उपलब्धता को देखते हुए भुखमरी के कारण कोई मौत नहीं हो सकती थी । तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार मामले की विस्तृत जांच कर रही है और उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) जी हां ।

दलित वर्गों का कल्याण

194. { **श्री ज० ब० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के दलित वर्गों के कल्याण के उपायों को क्रियान्वित करने के लिये विशेष व्यवस्था करने के प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कब तक प्रस्ताव के क्रियान्वित होने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये योजनाओं की क्रियान्विति को और सुनिश्चित करने के लिये समुचित कदम उठाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । ब्योरों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

Financial Help to Panchayats

195. { **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the decision taken by Government in regard to the suggestion given by a Member of Planning Commission, while addressing the Panchayat and Planning Symposium organised under the auspices of Rajasthan University in December, 1964 that State Governments could no longer leave the matter of finding out financial resources for themselves to the State Panchayat institutions and that the time had come to enact legislation for imposition, collection and distribution of taxes ;

(b) whether State Governments have been given any advice in the matter ; and

(c) the names of States which propose to enact such legislation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The question of finding out financial resources for Panchayati Raj bodies, legislation for additional taxation by or for Panchayati Raj bodies and allocation and collection of the proceeds of additional taxation, to which reference was made by a Member of the Planning Commission while addressing the seminar on Panchayati Raj and Planning organized by the Rajasthan University, has already been engaging the attention of Government. The recommendations of the Study Team on Panchayati Raj Finances appointed by the Central Government were forwarded to the State Governments for consideration and necessary action. These recommendations include some, which, if adopted, would require legislation by the State Governments.

दिल्ली में यातायात नियंत्रण

196. श्री हेडा : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के विद्यालयों के लड़के और लड़कियों ने दिल्ली में यातायात के नियंत्रण का प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव हुआ ; और

(ग) क्या दिल्ली में विद्यार्थियों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) बम्बई के स्कूलों के 29 बालकों ने दिसम्बर, 1964 में संसद् मार्ग—कनाट सर्कस चौक—पैदल यातायात को विनियमित करने का एक प्रदर्शन किया था ।

(ख) इस उद्देश्य की बड़ी प्रशंसा की गई थी ।

(ग) दिल्ली में स्कूलों के चुने हुए बालकों के लिये इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने के लिये दिल्ली पुलिस का यातायात एकक एक योजना तैयार कर रहा है ।

संविधान सभा के प्रलेख

197. डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संविधान की रचना संबंधी संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रलेख और फाइलें पिछले दिनों तक तहखाने के एक रिकार्ड रूम में रखे हुये थे और वहां उनमें से कुछ खराब होने शुरू हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रलेखों को भली प्रकार सुरक्षित रखने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है तो वह क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). संविधान सभा के अभिलेख जो विधि मंत्रालय के कब्जे में हैं, उस मंत्रालय के अभिलेखकक्ष में इस्पात की अलमारियों में रखे हुए हैं और जैसा कि लोक-सभा में 5 अप्रैल, 1963 को अतारांकित प्रश्न सं० 1481 के उत्तर में बताया गया था वे सुरक्षित अभिरक्षा में हैं । इन दस्तावेजों को वर्गीकृत किया गया है और उन्हें मूल्यवान दस्तावेजों के रूप में संरक्षित किया जाता है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी दस्तावेजों सहित ये सभी दस्तावेजें वास्तविक अनुसंधानकर्ताओं को, ऐसे अनुसंधान से सम्बद्ध नियमों के अनुसार, निर्देश के लिए उपलब्ध की जाती हैं ।

पंजाब को कृषि ऋण

198. श्री दी. चं. शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 में कृषि प्रयोजनों के लिये दीर्घ, मध्यम और अल्पकालीन ऋणों के लिये धन के आवंटन के लिये पंजाब सरकार की प्रार्थना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये इस वर्ष क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दीर्घ तथा मध्यकालीन ऋणों की मांगें पूर्णतया पूरी की गई थीं। वास्तव में राज्य सरकार आवंटित की गई सम्पूर्ण राशि को व्यय नहीं कर सकी। जहां तक अल्पकालीन ऋणों का संबंध है राज्य सरकार को 317.81 लाख रु० का ऋण मंजूर किया गया था जब कि उसने 388.25 लाख रुपये के ऋण के लिये प्रार्थना की थी। इस ऋण की पूरी मांग इसलिये पूरी नहीं की जा सकी थी कि हमारे पास इसके लिये सीमित निधियाँ थीं और यथानुपात वितरण करना आवश्यक था।

(ग) चालू वर्ष में कृषि कार्यक्रमों के लिये अनुमोदित व्यय पर आधारित राज्य योजना (प्लान) की योजनाओं (स्कीमों) के लिये 301 लाख रु० का ऋण आवंटित किया गया है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों के द्वारा मार्च, 1965 में वास्तव में किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर अस्थायी रूप से दी जायेगी। जहां तक अल्पकालीन ऋण का संबंध है राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 6 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है। राज्य सरकार की मांग विचाराधीन है।

Animal Development Programme

199. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an amount of Rs. 6·50 lakhs has been sanctioned under the Special Development Programme Animal Husbandry Schemes during 1964-65 ;

(*b*) if so, its break-up (State-wise) ; and

(*c*) the name of the authority under whose supervision this money will be spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) Animal Husbandry schemes worth Rs. 11·76 crores have so far been sanctioned under the Special Development Programme. As all these schemes are intended to be fully implemented by the end of the Third Five Year Plan, the estimated expenditure of Rs. 11·77 crores covers both 1964-65 and 1965-66.

(*b*) A statement is appended. **[Placed in Library See No. LT-3831/65]**

(*c*) The schemes in all cases are intended to be implemented by the State Governments/Union Territories concerned with technical guidance from the Central Government.

Production of Agricultural Commodities

200. { Shri Bibhuti Mishra :
{ Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government have formulated any scheme to assess the production of agricultural commodities in the country ;

(*b*) whether it is a fact that the exact figures cannot be ascertained under the crop cutting scheme ; and

(*c*) if so, whether a new scheme has been devised and the brief outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) Collection of agricultural statistics is the responsibility of State Governments. Most of them already have a sound system of assessment of production of principal agricultural commodities. Where improvement is called for, e.g., in the States of Orissa, Kerala, the attention of the State Governments has been invited to lines of improvement.

(*b*) It is not possible to estimate the production of each crop in each field. Resort has therefore to be had to the method of random sample crop cutting survey, where every village/field has equal chance of being selected in the sample. This method yields objective estimates to the nearest possible approximation.

(*c*) Does not arise.

Export of Gramodyog Goods

201. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Khadi and Gramodyog goods are being exported ; and

(*b*) if so, the names of the countries and the quantities of goods exported country-wise during the current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (*a*) Yes; Sir.

(*b*) Exports effected upto 15-2-1965 are given below :—

Country	Value (in Rs.)
U.S.A.	89,771
Japan	1,659
France	260

Poultry Feed

202. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government propose to open 8 new centres to manufacture poultry feed ;

(*b*) if so, the names of places where these centres would be opened ;

(*c*) the amount to be allocated for this purpose ; and

(*d*) when the centres are likely to be opened ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) *to* (*c*). The establishment of 15 poultry feed manufacturing centres in U.P., Maharashtra, Madras and Mysore has so far been sanctioned under the Special Development Programme, recently

sponsored by the Government of India, at an estimated cost of Rs. 13.72 lakhs in 1964-65 and 1965-66. The centres are proposed to be located at the following places :—

U.P.
1. Chak-Ganjaria, Lucknow.
2. Kalsi, District Dehra Dun.
3. Faizabad.
4. Moradabad.
5. Bichpuri, District Agra.
6. Allahabad.
7. Gonda.
8. Azamgarh.
9. Bareilly.

MADRAS

1. Teynampet.

MYSORE

1. Mangalore
2. Kolar.
3. Belgaum.

MAHARASHTRA

1. Poona.
2. Nagpur.

(*d*) All schemes approved under the Special Development Programme are intended to be completed in all respects latest by the end of the Third Five Year Plan.

Hybrid Maize and Millet Seeds

203. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the use of improved varieties of Hybrid maize and millet seeds has resulted in yielding rich crops in the country ;

(*b*) if so, the time taken to develop this type of hybrid maize and millet seeds ; and

(*c*) the steps being taken to increase their production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) Yes.

(*b*) Maize hybrids were developed within five to six years, while hybrids of jowar and bajra have taken somewhat lesser time.

(*c*) The National Seeds Corporation Ltd. has been set up as an autonomous Company in the Public Sector for the production and marketing of seeds of various hybrids released for cultivation.

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

204. श्री सं० ब० पाटिल : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के उद्देश्य से कुछ चुने हुये खंडों में चालू किये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) ग्रामीण कार्य कार्यक्रम जो कि 1960-61 के अन्त में 32 अग्रिम परियोजनाओं में चालू किया गया था अब 995 खण्डों में चालू है । क्षेत्रों और उपयुक्त योजनाओं के चुनने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण स्थानीय स्तर आदि पर प्रशासनिक तथा तकनीकी क्षमताओं को बनाने के लिये आवश्यक समय अन्तराल के कारण प्रथम दो वर्षों में कार्यक्रमों से जितनी आशा थी उतना लाभ नहीं हुआ । कार्यक्रम 1963-64 के पश्चात जोर शोर से आरम्भ हुआ । 1962-63 के अन्त तक 1.47 करोड़ रु० व्यय किये गये थे जबकि इसके मुकाबिले 1963-64 में 4.14 करोड़ रु० व्यय किये गये थे । आशा है कि 1964-65 में व्यय 6 करोड रु० से भी अधिक होगा । कार्यक्रम का लाभ भी काफी बढ़ गया है। 1962-63 तक 76 लाख श्रम दिन का काम था, जबकि 1963-64 में 173 लाख श्रम दिन का काम था और आशा है कि कार्यक्रम के द्वारा 1964-65 में यह काम ससे लगभग दुगना हो जायेगा ।

केन्द्रीय तिलहन समिति

205. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1029 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस विभाग ने केन्द्रीय तिलहन समिति में कथित गोलमाल के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). विशेष पुलिस स्थापना का अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है और उनके कहने के अनुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आरम्भ कर दी गई है ।

नकली सहकारी समितियां

206. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम राज :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आन्दोलन को निहित स्वार्थों के नियंत्रण से बचाने के

लिये और नकली सहकारी समितियों को समाप्त करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये सरकार ने कोई समिति बनाई है ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इटावा-भिंड सड़क पर पुल

207. श्री गो० ना० दीक्षित : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटावा-भिंड सड़क पर यमुना और चम्बल नदियों पर पुल बनाने के ठेकों का अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 25 जुलाई, 1964 को यमुना नदी पर पुल के निर्माण के लिये 4 टेंडर प्राप्त हुए थे । सब से नीचा टेंडर 37.00 लाख रु० का था और राज्य मुख्य इंजीनियर के द्वारा टेंडर देने वाले से बातचीत करके टेंडर की राशि को कम कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक चम्बल पुल का संबंध है टेंडर मांगे गये हैं और अप्रैल, 1965 में उनके प्राप्त हो जाने की आशा है । इस प्रकार दोनों पुलों के लिये ठेकों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) ऊपर (ख) में दी गई स्थिति को देखते हुए पुलों के निर्माण का कार्य चन्द ही महीनों में आरम्भ हो जाने की आशा है । दोनों पुलों के निर्माण में कार्य आरम्भ की तिथि से लगभग 3 वर्ष लगेंगे ।

पंजाब में हरिजन कल्याण

208. श्री दलजीत सिंह : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में हरिजन कल्याण योजनाओं के लिये 1963-64 और 1964-65 में केन्द्र व पंजाब राज्य सरकार ने कितनी राशि प्रदान की है ; और

(ख) इन वर्षों में कितनी राशि काम में ली गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उपबन्धित राशि	खर्च की गई राशि
1963-64	44.57	44.57
1964-65	54.70	55.20 (होने की आशा है)
कुल .	99.27	99.77

तटवर्ती क्षेत्रों के लिये राडार

209. **डा० श्री निवासन :**
श्री परमशिवन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री अ० व० राघवन :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम्-धनुषकोटि में हाल ही में हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में राडार उपकरणों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). तूफानों का पता लगाने और उनकी तीव्रता गति आदि का अध्ययन करने, चेतावनी देने में सहायता देने के लिये भारत के पूर्व तथा पश्चिम तटों के साथ साथ शक्तिशाली राडार सेटों को लगाने की एक योजना को भारत मौसम विभाग की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है । राडारों को अस्थायी रूप से हालिदा, प्रदीप अथवा भुवनेश्वर, विशाखापटनम, मसूलीपटनम, मद्रास, बम्बई और कांडला में स्थापित किया जायेगा ।

ऐसा एक राडार प्राप्त कर लिया गया है, और परीक्षणों के पश्चात् शीघ्र ही विशाखापटनम में स्थापित किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीचड़ ज्वर[1]

210. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुर्गियों को चीचड़ ज्वर से बचाने के लिये एक टीका (**वैक्सीन**) तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या टीके का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । बड़े पैमाने पर परीक्षण किये गये हैं।

भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्था

211. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के मालपुरा में भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्था स्थापित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या कर्मचारियों को प्रशिक्षण और ऊन उद्योग, मुख्य कर मध्यम और छोटे पमाने के उद्योगों को, तकनीकी सलाह देने के लिए अधिक सहायता दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मालपुरा में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्था को स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्न प्रगति हुई है :—

लगभग 3800 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है और उसके आस पास बाढ़ लगा दी गई है । इस में से, 2000 एकड़ भूमि साफ कर दी गई है, समतल कर दी गई है, और उसका विकास किया गया है । 400 एकड़ भूमि में प्रयोगात्मक चरागाह बनाई गई है । संस्था में घास और चारे की उन किस्मों को उगाया जा रहा है, जो पौष्टिक हों और शुष्क परिस्थितियों में बढ़ सकें ।

न्यूजीलैंड तथा अमरीका से 450 विदेशी भेड़ों का आयात तजरबे के लिए किया गया है और उन्हें वहां पर जलवायु को सहन करने के योग्य बनाने के लिए रखा जा रहा है । संकरण (क्रास ब्रीडिंग) के तजरबों के लिए संस्था में लगभग 600 स्थानिक नस्ल की भेड़ें खरीदी जा रही हैं।

45 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है । कार्यालय और प्रयोगशाला के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही भी आरम्भ की जा चुकी है ।

पीने और सिंचाई के लिये पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 'खुदाई एवं छिद्र प्रणाली' अपनाई गई है । दस खुले कूंवों में पहले ही संछिद्रण किया जा चुका है और पांच कूंवों पर पम्पिग सेट लगाये जा रहे हैं।

[1]Tick fever.

संस्था के संचालक की नियुक्ति कर दी गई है । आवश्यक मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई है । यू० एन० एस० एफ० द्वारा भेजे गये परियोजना परामर्शदाता पहले ही काम पर आ चके हैं और उनकी मंत्रणा के अनुसार परियोजना के भविष्य में होने वाले काम की योजना बनाई जा रही है । यू० एन० एस० एफ० द्वारा भेजे गये एक भेड़ पालन विशषज्ञ हाल ही में काम पर आये हैं ।

(ख) संस्था के पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद, राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों को भेड़ों की नस्ल सुधारने और ऊन टेक्नालोजी के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा । इन विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था भी की जायेगी । इसके अतिरिक्त छोटे और मध्यम उद्योगों को तकनीकी जानकारी और आंकड़े संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

212. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परिसीमन आयोग ने उत्तर प्रदेश के संसदीय व विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के बारे में अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा के लिये केवल 425 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमित किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राजनैतिक दलों से इस संबंध में परामर्श किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । परिसीमन आयोग ने उत्तर प्रदेश में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य अभी पूरा नहीं किया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी नहीं । राजनीतिक दलों से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है किन्तु परिसीमन आयोग ने सभी सहयोजित सदस्यों से इस मामले पर परामर्श किया ।

नौवहन प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया की यात्रा

213. **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच सदस्यों का एक भारतीय नौवहन प्रतिनिधिमण्डल हाल में संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने इन देशों के साथ कोई करार किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक नौवहन प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा तथा रिजका की यात्रा की है।

(ख) और (ग). इसका उद्देश्य संयुक्त अरब गणराज्य से पिछले वर्ष जनवरी में हुए एक करार के अनुसार भारतीय और संयुक्त अरब गणराज्य के पत्तनों के बीच नौवहन सेवा जारी करने के लिये क़दम उठाना है। इस बीच नौवहन सेवा का उद्घाटन किया जा चुका है। नौवहन में सहयोग के लिए प्रतिनिधि मंडल ने रिजेका में यूगोस्लाविया की नौवहन कम्पनियों से भी विचार-विमर्श किया है। यद्यपि यूगोस्लाविया के "शिप ओनर्स" द्विपक्षीय नौवहन करार के लिए सहमत नहीं है, फिर भी वे सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्रमिकों की सहकारी संस्थायें

214. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में राज्य-वार कितनी श्रमिक सहकारी संस्थाएं पंजीबद्ध हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि में ऐसी सहकारी संस्थाओं को दिये गये ठेकों की संख्या क्या है; और

(ग) इनमें कितनी राशि सन्निहित है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1963–64 में पंजीबद्ध श्रमिक सहकारी संस्थाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है। 1962–63 में ये समितियाँ 537 बढ़ गई थीं। राज्य-वार स्थिति इस प्रकार हैं :—

राज्य	समितियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	29
बिहार	5
गुजरात	20
जम्मू तथा काश्मीर	1
केरल	—3
मध्य प्रदेश	8
मद्रास	30
महाराष्ट्र	122
मैसूर	52
उड़ीसा	71
पंजाब	44
राजस्थान	49
उत्तर प्रदेश	73

राज्य	समितियों की संख्या
पश्चिमी बंगाल . . .	5
संघीय क्षेत्र .	31
योग	540—3—537

(ख) 1962–63 में 3977 नये ठेके दिये गये ।

(ग) 1962–63 में 5.02 करोड़ रुपये के काम पूरे किये गये हैं।

Delimitation of Constituencies

215. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has finalised delimitation of constituencies for the elections to Lok Sabha and State Legislatures on the basis of 1961 ;

(b) if so, the basis of delimitation of constituencies ;

(c) whether delimitation of the constituencies has not been finalised in some States so far ; and

(d) if so, the names of such States and the time by which it is likely to be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). The delimitation of the constituencies in the States of Kerala and Madhya Pradesh and in the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry has been completed by the Delimitation Commission in accordance with the provisions of section 9 of the Delimitation Commission Act, 1962 ; the delimitation of constituencies in the State of Nagaland has been completed by the Election Commission in accordance with the provisions of section 11 (4) of the State of Nagaland Act, 1962.

(c) and (d). The delimitation of constituencies in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Madras, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and in the Union Territories of Delhi, Himachal Pradesh, Manipur and Tripura is in progress and is likely to be completed by the end of 1965.

सहकारी खेती

216. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी खेती को सामुदायिक खंड विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने का है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी खेती मंत्रणा बोर्ड ने इस बारे में सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी खेती मंत्रणा बोर्ड ने 19-12-1964 को हुई छटी बैठक में यह सिफारिश की है कि सहकारी खेती को सामुदायिक खंड कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाये ।

(ग) राज्य सरकारों को यह सिफारिश लागू करने के लिए कहा गया है ।

पशुपालन का विकास

217. श्री दिगे : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशु पालन के विकास के लिए क्या राशि नियत की गई है ;

(ख) अब तक कितना धन खर्च हुआ है ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मुर्गी पालन के विकास के लिए कितनी राशि रखी गई है ; और

(घ) इसके लिये अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशु पालन के विकास के लिए 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें मुर्गीपालन के लिए रखी गई 4.82 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में चालू किये गये विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक मुर्गीपालन के विकास तथा विक्रय की योजनाओं के लिए 3.34 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये हैं। उसी कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु पालन, भेड़पालन और सुअर पालन की योजनाओं के लिए 8.42 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकार की गई हैं। इन सभी योजनाओं पर व्यय तीसरी योजना के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा ।

(ख) और (घ). केन्द्रीय सहायता देने के लिए 1958 में योजना आयोग द्वारा बनाई गई सरल प्रक्रिया के अधीन पहले की तरह केन्द्रीय सरकार पृथक् पृथक् योजनाओं की अब स्वीकृति नहीं देती । इसलिये, मुर्गीपालन तथा अन्य पशुपालन योजनाओं पर किये गये वास्तविक व्यय की सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई है और उपलब्ध होने पर यह सूचना सभा को दी जायेगी ।

खंड विकास अधिकारियों के कर्त्तव्य

218. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं कि राजस्व सम्बन्धी कार्यों को खंड विकास अधिकारियों से अलग किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के निर्देश का पालन किया है ;

(ग) वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के निदेश का पालन नहीं किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही कर रही है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) केन्द्रीय सरकार के इस विचार के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि उप-खंड के स्तर से नीचे के स्तर पर विकास सम्बन्धी और प्रबन्धक कामों को एक ही प्रकार के कर्मचारियों के हाथों में देना सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के लिए अहितकर होगा।

(ख) और (ग). बिहार के अतिरिक्त सभी राज्यों में खंड स्तर पर राजस्व और विकास सम्बन्धी कार्यों को पृथक्-पृथक् कर दिया गया है। बिहार में भी 1 जनवरी, 1965 से 575 में से 248 खंडों में इन दोनों कामों को अलग-अलग कर दिया गया है।

(घ) शेष खंडों में इन दोनों कृत्यों को पृथक्-पृथक् करने के सम्बन्ध में मंत्रालय बिहार सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा है।

कृषि फार्म

219. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ और जैतसर जैसे बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना से यह बात न्यायोचित सिद्ध हो गई है कि अनाज, कपास, तिलहन के उत्पादन तथा अन्यथा बेकार या आंशिक रोजगार वाले कृषकों और अन्य व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार देने के दोहरे प्रयोजन से समूचे देश में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों का प्रयोग करने वाले फार्म स्थापित किये जायें ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए अनुभव का दूसरे स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). सूरतगढ़ और जैतसर फार्मों को स्थापित करने से प्रोत्साहन मिला है। जब स्थायी रूप से सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी तो और अच्छे परिणामों की सम्भावना है।

सुनिश्चित सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण राजस्थान राज्य के अतिरिक्त, देश के अन्य भागों में बड़े फार्मों के स्थापित करने का क्षेत्र बहुत थोड़ा है, राजस्थान नहर पर काम पूरा हो जाने पर वहां ऐसे अन्य फार्मों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

220. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पर्वतीय क्षेत्र विकास समिति के कार्यकारी दलों ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये रूपरेखा तैयार करने में क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या योजना आयोग को भेजने से पहले इस पर विचार करने के लिये समिति की कोई बैठक बुलाई जायेगी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में है, तो समिति की बैठक अनुमानतः कब होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कार्यकारी दल का उपदल ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय पर्वतीय क्षेत्र विकास परामर्शदाता समिति की बैठक ब्लू प्रिंट के तैयार होने पर बुलाई जायेगी ताकि वह उस पर विचार कर सके। इस काम के बहुत बड़ा होने के कारण इस समय बैठक की कोई तिथि नहीं बताई जा सकती ।

सब्जी पैदा करने वाला क्षेत्र

221. **श्री राम हरख यादव** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र को सब्जी पैदा करने वाला खंड लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आने की सम्भावना है ; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली के उन क्षेत्रों में, जहां सब्जी पैदा करने की सम्भावनाएं अधिक हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए और दिल्ली राज्य क्षेत्र में आवश्यक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए कैश कार्यक्रम चालू किये गये हैं ।

(ख) इस समय दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि में सब्जियां उगाई जा रही हैं । कैश कार्यक्रम के अधीन और 20,000 एकड़ भूमि में सब्जियां उगाने का प्रस्ताव है । इस में घर में सब्जियां आदि उगाने की योजना के अधीन नगर में 2,000 एकड़ भूमि भी शामिल है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ओखला, कारोनेशन पिलर और केशोपुर के तीनों मलप्रवाह प्रक्षेत्र और यमुना के तल, नदी के किनारे और पांचों विकास खंडों के बहुत से ग्राम आते हैं जिनमें सब्जी उगाने

की अधिक गुंजाइश है। नगर क्षेत्रों में घरों में सब्जियां आदि उगाने के लिए इस योजना के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली की नई बस्तियां लाई जायेंगी।

इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक है कि काशीपुर तथा ओखला संयंत्रों के अधीन वर्तमान क्षेत्र का प्रयोग सब्जियां आदि उगाने के लिए किया जाता रहे और इसे दिल्ली बृहत योजना के अधीन नगरीय बस्तियां बसाने या औद्योगिक बस्तियां बनाने के काम में न लाया जाये। दिल्ली विकास प्राधिकार इस बात से इस आधार पर सहमत नहीं है कि दिल्ली बृहत योजना दिल्ली विकास अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मामले पर विचार हो रहा है।

(ग) इस योजना पर 1964-65 और 1965-66 के वर्षों में 22.25 लाख रुपया व्यय होगा।

ढोरों का बीमा

222. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोरों के बीमा सम्बन्धी अग्रिम नमूना योजना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ढोरों के बीमे की प्रारंभिक नमूना योजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

देहाती पुनर्निर्माण

223. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहाती पुनर्निर्माण संबंधी अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के प्रतिवेदन की जांच अब पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जी हां। विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3832/65]**।

खाद्य उपभोग और आहार पुष्टि संबंधी सर्वेक्षण

224. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खाद्य उपभोग और आहार पुष्टि संबंधी सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). इस मामले पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया । चार आरंभिक कार्य पूरे हो चुके हैं । आंकड़े लिये जा रहे हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

226. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 24 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना को नेवैली लिग्नाईट निगम के खान एककों पर लागू करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस सम्बंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव): (क) नैवेली लिग्नाइट निगम तथा सम्बद्ध मंत्रालय ने कोयला खान भविष्य निधि योजना का निगम के खान एककों पर लागू करने पर आपत्ति की है और इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है ।

(ख) यथा शीघ्र ।

कृषि उत्पादन

227. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये पूर्व कार्यवाही के एक अंग के रूप में कृषि विकास के लिये अग्रिम परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिये सिंचाई तथा कृषि विभागों में अधिक समन्वय स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को क्या निश्चित हिदायतें दी गई हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को लिखा है कि राज्यों के सिंचाई तथा कृषि विभागों में पर्याप्त समन्वय बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सके ।

(ख) इस पत्र में सिंचाई के अधिकतम प्रयोग के लिये दिये गये कुछ सुझावों में से अधिक महत्वपूर्ण सुझाव संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(i) वर्तमान सिंचाई संहिताओं पर पुनर्विचार

(ii) सिंचाई तथा कृषि विभागों का सिंचाई परियोजनाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों सिंचाई तथा कृषि विभागों द्वारा समन्वित योजना बनाना, करना। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय नाले, भूमि को समतल करना, चकबन्दी करना, गवेषणा तथा नुमायशी फार्मों की स्थापना, मिट्टी का सर्वेक्षण, स्टोर संबंधी सुविधाओं का प्रबन्ध, विपणन तथा संचार, उर्वरक की सप्लाई, अच्छी किस्म के बीज तथा किसानों के ऋण भी शामिल हैं।

(iii) एक विशेष प्रबन्धक एकक जिसका प्रधान एक वरिष्ट अधिकारी होगा और जिसे सिंचाई के पानी का अधिकतम उपयोग करने के उपाय करने की विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी जायेगी। यह कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन राज्य के कृषि विभाग में स्थापित किया जायेगा।

(iv) कृषि अधिकारियों के एकक या तो कृषि विभागों में स्थापित किये जाने चाहिये या उनके कामों से पूर्णतः सम्बंधित होने चाहियें ताकि कृषि अधिकारी सिंचाई की नई परियोजनाओं से पूरी तरह से मिले जुले रहें और पानी का पूरा उपयोग करने से सम्बंधित सभी प्रकार के कार्यों से उनका संबंध हो सके।

(v) निचले स्तर पर समन्वय रखने के लिये सिंचाई विभाग के जिला, खण्ड तथा ग्राम्य स्तरों पर कृषि उत्पादन समितियों में प्रतिनिधि होने चाहिये। तथा अभी जहां पर ऐसा नहीं हुआ है वहां ऐसा किया जाना चाहिए।

(vi) नहरें चलाने तथा पानी किस समय मिलेगा इसका खूब प्रचार किया जाना चाहिये।

(ग) यह पत्र जनवरी 1965 में भेजा गया था और मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

चीनी का निर्यात

228. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1965 में चीनी के निर्यात के बारे में ब्रिटेन अमरीका और कनाडा के साथ करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को कितनी चीनी निर्यात की जायेगी ;

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 1965 के दौरान लंदन तथा न्यूयार्क की चीनी की दो फर्मों को 2.18 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिये ठेके लेने का अधिकार कलकत्ते की भारतीय चीनी मिल्ज़ एसोसिएशन को दिया गया है जो इस प्रकार है :

देश	लाख टन
यू० एस० ए०	0.91
यू० के०	0.76
केनेडा	0.51
कुल	2.18

(ग) ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली 0.25 लाख टन चीनी राष्ट्रमंडल चीनी करार के अधीन भाव पर दी जायेगी जो 45.8 पौंड प्रति टन (नौत्तल पर्यन्त निशुल्क) तथा (96^{0} आधार) पर रहेगी। शेष निर्यात जो ब्रिटेन तथा केनेडा को लंदन के दैनिक मूल्य के औसत के आधार पर किया जायगा और निश्चित अवधि के दौरान होगा। अमरीका को निर्यात मूल्य न्यूयार्क काफी तथा चीनी विनिमय (एक्सचेंज) के ठेका संख्या 7 के औसत मूल्य होंगे।

माल जनवरी-अक्तूबर-1965 के दौरान भेजा जायेगा।

(घ) लगभग 10 करोड़ रुपये।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

229. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव की शर्तें इस प्रकार हैं :

(1) पूर्णतः स्वायत संगठन के तौर पर परिषद् का पुनर्गठन ;

(2) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय वस्तु समिति सहित सभी गवेषणा संस्थाओं को पुनर्गठित परिषद् को हस्तांतरण ;

(3) एक योग्यतम वैज्ञानिक को परिषद् का महानिदेशक नियुक्त करना ;

(4) परिषद् के शासी निकाय का पुनर्गठन जिसमें अधिकतर विख्यात वैज्ञानिक ही होंगे ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा छबुआ हवाई अड्डे का प्रयोग

230. **श्री जो० ना० हजारिका :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 22 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 626 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइकाउंट विमानों को नीचे उतारने के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा छबुआ हवाई अड्डे के कुछ समय के लिये प्रयोग के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय के साथ कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या मोहनबाड़ी हवाई अड्डे की पूर्ण रूप से मरम्मत कर दी गई है ताकि वाइकाउंट/फोक्कर फ्रैंडशिप/डकोटा विमान वहां पर आसानी से उतर सकें ; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की वाइकाउंट विमान सेवा इस बीच पुनः चालू कर दी गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा छबुआ हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की शर्तें विचाराधीन हैं ।

(ख) मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने के लिये सड़क का पुनर्निर्माण क्रमवार कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ताकि उतरने के मार्ग का वह भाग इंडियन एयरलाइन्स की डकोटा विमान सेवा के लिये भी काम में आता रहे। कलकत्ता-गौहाटी-तेज़पुर-जोरहाट-लीलावाड़ी-मोहनबाड़ी मार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स की दैनिक डकोटा सेवा अब इस हवाई अड्डे तक चलाई जा रही है। नवम्बर, 1965 तक सड़क के बन जाने की सम्भावना है जब उतरने का मार्ग वाइकाउंट तथा फौक्कर विमानों के आने जाने योग्य हो जायेगा ।

(ग) कलकत्ता/गौहाटी/मोहनबाड़ी मार्ग पर चलने वाली वाइकाउंट सेवा इस समय कलकत्ता/गौहाटी/जोरहाट मार्ग पर चलायी जा रही है । यदि सुरक्षा मंत्रालय ने आज्ञा दे दी तो यह सेवा 1 अप्रैल, 1965 से कलकत्ता/गौहाटी/छबुआ मार्ग पर चलाने की योजना है ।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

231. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने, सुधारने और मार्ग बदलने आदि पर 1962-63, 1963-64 और 1964–65 में कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के पहले दो वर्षों में कोई राशि वापिस की गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 1962–63 तथा 1963-64 के दौरान वास्तविक व्यय तथा 1964-65 के दौरान असम में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने, सुधार करने तथा मोड़ने आदि पर प्रत्याशित व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (लाखों में) रुपये
1962-63	123.19 (वास्तविक)
1963-64	528.32 (वास्तविक)
1964-65	576.23 (प्रत्याशित)
कुल . . .	1227.74

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिये 1962–63 के दौरान असम सरकार को 163.01 लाख रुपये दिये गये तथा इसके बदले में 123.19 लाख रुपये खर्च हुये जिससे 39.82 लाख रुपये बच रहे जिसका मुख्य कारण व्यय की गर समायोजन था। 1963-64 के दौरान कोई बचत नहीं हुई ।

पर्यटन का बिकास

232. श्री जो० ना० हजारिका : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र को नियत निधि की कितने प्रतिशत निधि 1964-65 में पर्यटन के विकास के लिए क्रमानुसार व्यय की गयी है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में स्वदेशी पर्यटकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्य सहायता के रूप में राज्यों को कितनी-कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में गैर-सरकारी होटलों तथा भोजनालयों को केन्द्रीय क्षेत्र के लिये आवंटित निधि में से कितनी राशि ऋण व वित्तीय सहायता के रूप में दी गई ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्यों के क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1964-65 में वास्तविक व्यय के ठीक-ठीक प्रतिशत का अनुमान मार्च 1965 से पहले नहीं लगाया जा सकता । इसका कारण यह है कि योजना कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा हुये व्यय के लिये दी गई राजसहायता दिये जाने की व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें योजना कार्यों पर वित्तीय वर्ष के पहले 9 मास में हुये वास्तविक व्यय के विवरण तथा शेष 3 मास में होने वाले प्रस्ताविक व्यय के विवरण भेजें, तत्पश्चात् इन विवरणों के आधार पर राज्य सरकारों को राजसहायता दी जाती है । यह केवल फरवरी/मार्च 1965 में ही किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकारों को दी जाने वाली राज सहायता की ठीक-ठीक राशि तभी मालूम हो सकती है जब राज्य सरकारें योजना कार्यों पर वास्तविक व्यय के आंकड़े भेजें ।

(घ) केन्द्रीय अथवा राज्य क्षेत्र की निधियों में से सरकार होटलों आदि को ऋण/राज-सहायता नहीं देती। परन्तु होटल औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों से ऋण ले लेते हैं ।

दिल्ली में भूमिगत रेलवे

233. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन समिति ने सरकार से राजधानी में भूमिगत रेलवे बनाने की संभावना पर विचार करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा दिल्ली की बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भूमिगत रेलवे सहित परिवहन के अन्य साधन लागू करने की योजना मिली है। दिल्ली की यातायात आवश्यकताओं का विवरणात्मक अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

गुजरात में सड़कें

234. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुजरात ही केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें नागपुर योजना के अन्तर्गत वर्ष भर चालू रहने वाली सड़कों का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार गुजरात में वर्ष भर चालू रहने वाली सड़कों का निर्माण करने के लिए नागपुर योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). गुजरात सरकार के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी, जैसे कि उतर प्रदेश और राजस्थान, अपने-अपने राज्यों में युद्धोत्तर सड़क विकास की नागपुर योजना, जो कि 1943 में बनाई गई थी, में दिये गये सूत्र के अनुसार सड़क मील दूरी की कमी की शिकायत की है। जुलाई, 1964 में श्रीनगर में हुई परिवहन विकास परिषद् की पांचवीं बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। जब कि उस बैठक में इस बात पर सहमति प्रगट की गई थी कि विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की सड़क पद्धति में कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे, यह सुझाव दिया गया था कि सम्बन्धित राज्यों को पहले अपनी कुल आवश्यकताओं का हिसाब लगाना चाहिये और फिर कमियों को दूर करने के लिए एक समुचित कार्यक्रम तैयार किया जाये। संबंधित राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों के लिए अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में आवश्यक उपबन्ध करना होगा, क्योंकि सड़कों में सुधार करने के सामान्य प्रश्न से उनका मुख्य रूप से सम्बन्ध है। परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशों को उन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए पहले ही सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

2507 (Ai) LS—6.

उड़ीसा में तैयार की जाने वाली खादी

235. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1964-65 के दौरान अब तक कितनी खादी तैयार की गई है; और

(ख) उस राज्य में 1965-66 के दौरान खादी के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गवेषणा केन्द्र

236. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायो-गैस' प्लांट सम्बन्धी गवेषणा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1964-65 में देश में कितने गवेषणा केन्द्र स्थापित किये गये; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दो ।

(ख) हंगरी के बायो-गैस प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से कानपुर और बम्बई में बायो-गैस उत्पादन के लिए दो अग्रिम संयंत्र स्थापित किये थे, जिनका निर्माण फरवरी, 1964 में पूरा हुआ था ।

बायो-गैस के उत्पादन के लिए तजरबे मार्च–अप्रैल, 1964 में शुरू किये गये थे और दिसम्बर, 1964 में पूरे किये गये थे । अग्रेतर अनुसन्धान कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1965 तक पूरे हो जाने की आशा है ।

उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सड़क कोष

237. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को उस राज्य में सड़क विकास योजनाओं के लिए 1964-65 में केन्द्रीय सड़क कोष से कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) उस राज्य को 1965-66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 15.00 लाख रु० ।

(ख) जानकारी 1965-66 के बजट में उपलब्ध होगी जो कि शीघ्र ही लोक-सभा में पेश किया जायेगा ।

उड़ीसा में सड़कों/पुलों का निर्माण

238. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1964-65 में राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई ?

(ख) राज्य द्वारा वह राशि किस प्रकार प्रयोग में लाई गई ; और

(ग) इसी प्रयोजन के लिए उस राज्य को 1965-66 में कितनी धनराशि देने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

सड़कों की श्रेणी	1964–65 म उड़ीसा सरकार की दी गई अथवा दी जाने वाली राशी
	लाख रु० में
राष्ट्रीय राजपथ	504.28
अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व की राज्य की सड़कें	2.59
राज्य की वे सड़कें जिनके लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से धन दिया गया	15.00
	521.87

(ख) राज्य सरकार द्वारा यह राशि उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जायेगी ।

(ग) जानकारी 1965-66 के बजट में उपलब्ध होगी जो शीघ्र ही पेश किया जायेगा ।

सामुदायिक विकास खंड

239. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा सरकार को सामुदायिक विकास खंडों के लिए कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) इस कार्य के लिए उस राज्य को 1965-66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(रुपया लाखों में)

	ऋण	अनुदान
(क) 1964-65		
आवंटित राशि	99.30	149.90
(ख) 1965-66		
अस्थायी आवंटन	118.70	178.80

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

239. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई कितने मील थी ;

(ख) इन राजपथों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना में अन्य सड़कों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय

राजपथों के नाम तथा उनकी मील दूरी इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय राजपथ संख्या	राष्ट्रीय राजपथ का नाम	मील दूरी
5	कलकत्ता-कटक-विजाग-मद्रास .	305
6	धुलिया-नागपुर-सम्बलपुर-कलकत्ता	289.5
42	सम्बलपुर-कटक .	163
43	रायपुर विज़िया नगरम	95
	सकल जो	852.5

(ग) और (घ). तृतीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ पद्धति में किसी और सड़क को शमिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चौथी योजना के लिए प्रस्तावों पर राष्ट्रीय राजपथ विकास के लिये राशियां आवंटित करते समय विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में स्थानीय विकास कार्य

241. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उड़ीसा राज्य में स्थानीय विकास कार्यों के लिए उस राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) 1965-66 में उक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में स्थानीय विकास कार्य के कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा सरकार को 22.905 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था।

(ख) 1965-66 के लिए स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के लिए निधियों के राज्यवार आवंटन पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन

242. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बाल्मीकी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बढ़ते हुए यातायात की मांग पूरी करने के

के लिये अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए दिल्ली परिवहन के पास धन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यदाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए दिल्ली परिवहन मुख्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता पर निर्भर करती है। बसों की संख्या आदि में वृद्धि करने के लिए दिल्ली परिवहन का तृतीय पंच-वर्षीय योजना का अधिकतम व्यय हाल ही में 320 लाख रुपये से बढ़ा कर 418 लाख रुपये कर दिया गया है ।

नमूने के बीजों का केन्द्र

243. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नमूने के बीजों का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए बिड़ला ब्रदर्स को पंजाब में 500 एकड़ कृष्य भूमि देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की मुख्य बातें क्या हैं और यह कब तक स्थापित हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पंजाब में एक बीज फार्म स्थापित करने के लिए मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स, नई दिल्ली ने पंजाब सरकार को एक योजना पेश की है और वह विचाराधीन है ।

कृषि उत्पादन

244. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने कृषि उत्पादन कार्यक्रम में गति लाने के लिये केन्द्र सरकार से अधिक धन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जी हां। चालू वित्तीय वर्ष 1964-65 में अनेक राज्यों ने अतिरिक्त निधियों के लिए प्रार्थना की है। 1964-65 के लिये राज्य की वार्षिक योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा आरम्भ में जो राशि मंजूर की गई थी उसके अतिरिक्त लघु सिंचाई और मिट्टी संरक्षण सहित कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को 20.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। यह जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है कि किस किस राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.90
2.	आसाम	0.10
3.	बिहार	1.80
4.	गुजरात	0.40
5.	जम्मू तथा काश्मीर	0.15
6.	केरल	0.40
7.	मध्य प्रदेश	3.40
8.	मद्रास	0.90
9.	महाराष्ट्र	0.90
10.	मैसूर	3.75
11.	उड़ीसा	0.65
12.	पंजाब	0.90
13.	राजस्थान	1.40
14.	उत्तर प्रदेश	3.30
15.	पश्चिम बंगाल	0.90
	कुल	20.85

बन सम्बन्धी परियोजना

245. श्री महेश्वर नायक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर भारत सरकार तथा दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि एवं खाद्य तथा कृषि संगठन के बीच सरकार की बन सम्बन्धी परियोजना को सहायता देने के लिए कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी सहायता का प्रस्ताव है; और

(ग) परियोजना किस प्रकार की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । करार का सम्बन्ध भारत में वन संसाधनों के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण की परियोजना से है।

(ख) प्रस्तावित सहायता 885,100 डालर अथवा 42.15 लाख रुपये है।

(ग) ऊपर दी गई सहायता की राशि को लगा कर परियोजना के लिये किया गया कुल उपबन्ध 1,28,55,676 रु० का किया गया है, शेष राशि भारत सरकार द्वारा दी जा रही है ।

परियोजना में ये ये कार्य शामिल हैं:—

(एक) तीन चुने हुए खण्डों में, जिनका कुल क्षेत्रफल 9 राज्यों में लगभग 11,500 वर्ग मील है (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर) वन उद्योग के विकास के लिए कच्चे माल की सस्ते दामों पर उपलब्धि के बारे में जांच करना। यह खण्ड ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वन उद्योग विकास की सबसे अधिक संभावना है परन्तु जिनके सम्बन्ध में वन संसाधनों और अन्य संबंधित बातों के बारे में वर्तमान जानकारी अपर्याप्त है।

(दो) भारत की इमारती लकड़ी की वर्तमान खपत, वन उद्योग क्षमता और भविष्य की संभाव्य प्रवृत्तियों का समूचा चित्र खींचने के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं, संयंत्रों की वर्तमान क्षमताओं, प्रस्तावित उत्पादन मण्डियों, वन उद्योग विस्तार योजनाओं और अन्य सम्बन्धित बातों की जांच करना।

(तीन) औद्योगिक रोपस्थितियों के लिए मुख्यतः चुने हुए खण्डों में कच्चे माल की सप्लाई के सम्बन्ध में उपयुक्त क्षेत्रों को निश्चित करना और चुने हुए स्थानों पर शीघ्र उगने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों की परीक्षण रोपस्थितियां स्थापित करना।

चावल की बिक्री

246. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने उचित मूल्य की दूकानों द्वारा राज-सहायता प्राप्त चावल का वितरण बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). अब चूंकि केरल के सम्पूर्ण राज्य में औपचारिक राशन लागू कर दिया गया है, पिछली व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत कि कम आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को चावल की थोड़ी सी मात्रा विशेष रियायत से दी जाती थी। विशेष घटी दरों पर कम आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को चावल देने की पुरानी योजना को फिर से चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

केरल सड़क परिवहन निगम

247. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जल परिवहन को भी प्रस्तावित केरल सड़क परिवहन निगम के अधीन लाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). केरल में जिस सड़क परिवहन निगम को स्थापित करने का विचार है वह एक सहायक सेवा के रूप में चलेगी, सीधें परियात के लिये इस समय राज्य परिवहन विभाग द्वारा नाव चलाई जा रही है।

सड़क परिवहन निगमें अधिनियम, 1950 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कोई भी सड़क परिवहन निगम नियमित वाणिज्यिक जल परिवहन सेवाएं नहीं चला सकता । केरल सरकार ने उक्त अधिनियम में एक संशोधन करने का सुझाव दिया है जिससे कि एक सड़क परिवहन निगम को सड़क सेवाओं के अतिरिक्त जल परिवहन सेवाएं भी चलाने की अनुमति दी जा सके । इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों आदि के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के घी का मूल्य

248. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के घी के मूल्य में 1 रुपया प्रति किलो वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) 1-2-1965 से ।

(ग) दूध के प्राप्ति मूल्य में सामान्य वृद्धि के कारण घी की उत्पादन लागत बढ़ गई है ।

लंका को चावल का सम्भरण

249. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने अपने देश के लिये चावल की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 27 जनवरी, 1965 को लंका ने फरवरी और मार्च के आरम्भ में 20 से 30 हजार टन चावल उधार मांगा था जिससे कि वह तूफान द्वारा धान की फसल और धान और चावल के स्टाकों को हुई हानि के कारण कमियों को पूरा कर सके ।

भारत सरकार इस मामले में लंका सरकार की सहायता करने के लिये राजी हो गई । 11 फरवरी को लंका सरकार ने बताया कि चावल उधार लेना आवश्यक नहीं था ।

पर्यटन

250. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक 3 फरवरी, 1965 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को पांडिचेरी आने के लिए आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) पांडिचेरी में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों के प्रचार के लिये और पर्यटकों के लिये ठहरने के स्थानों के प्रबन्ध के लिये पांडिचेरी प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

सहकारिता प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण

251. श्री बसुमतारी : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के बारे में विवरण तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ब्यौरे अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुछ भी बताना कठिन है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेलवे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विनियोग लेखे आदि

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, रेलवे, 1965 ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—3819/65]

(2) 1963-64 के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 1—समीक्षा ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3820/65]

(3) 1963-64 के लिये विनियोग लेखे, रेलवे भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—3821/65]

(4) 1963-64 के लिये ब्लाक लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित), संतुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे, रेलवे ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—3822/65]

यूनाइटेड किंगडम--भारत व्यापार करार (संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री मनु भाई शाह की ओर से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 11-क के अन्तर्गत, दिनांक 3 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या 35(2)--टैर/63 में प्रकाशित यूनाइटेड किंगडम--भारत व्यापार करार (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०--3823/65]

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम

खाद्य निगम नियम

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 23 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 133 में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०--3824/65]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 13 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 117 में प्रकाशित खाद्य निगम नियम, 1965 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०--3825/65]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1795 की एक प्रति ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 1796 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०--3826/65]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) दिनांक 26 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1845 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (उन्नीसवां संशोधन) योजना, 1964 ।

(दो) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 10 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (बीसवां संशोधन) योजना, 1964 ।

(तीन) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 11 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (इक्कीसवां संशोधन) योजना, 1964 ।

(चार) दिनांक 9 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 71 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1965 ।

(पांच) दिनांक 16 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 108 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या संख्या एल०टी०--3727/65]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 1963-64 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०--3728/65]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :--

(एक) कि राज्य सभा ने 18 फरवरी, 1965 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1965 को पास कर दिया था ।

(दो) कि राज्य सभा ने 18 फरवरी, 1965 की हुई अपनी बैठक में प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक, 1965 को पास कर दिया था ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक
BILLS, AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1965 ।

(2) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक, 1965 ।

समवाय (संशोधन) विधेयक
COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुइ (बारसाट) : मैं रेलवे मंत्रालय पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में प्राक्कलन समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के नियमों तथा विनियमों के नियम 2 के अनुसरण में ऐसी रीति से जसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति में 1 अप्रेल, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के नियमों तथा विनियमों के नियम 2 के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति में 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1964-65

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं 1964—65 के आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

22 फरवरी, 1965 को उठाये गये व्यवस्था प्रश्न पर विनिर्णय के बारे में

RE: RULING ON POINT OF ORDER RAISED ON 22 FEBRUARY, 1965

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस व्यवस्था प्रश्न के सम्बन्ध में अध्ययन करने में कुछ समय लगेगा। उस के पश्चात् सरकार के प्रतिनिधि को बोलने की अनुमति दूंगा । उसके बाद मैं अपना विनिर्णय दूंगा । इस सम्बन्ध में सूचना सभा को पहले ही दे दी जायेगी, इस बारे में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके उद्धरण दिये जा सकेंगे ।

Shri Madhu Limaye: Sir, Until your ruling is given we are bound by the ruling of Mr. Deputy Speaker.

Mr. Seaker: The portions already quoted can be referred to. No further reference can be made from the report.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : 19 फरवरी, 1965 को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जिसका अनुमोदन महाराजकुमार विजय आनन्द ने किया था और आगे चर्चा की जायेगी अर्थात् :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

श्री बाकर अली मिर्जा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : मैं भूमि सम्बन्धी सुधारों पर जोर देना चाहता हूं । कई राज्यों में किये गये भूमि सुधारों को ठीक तरह लागू नहीं किया जा रहा है ।

मैं श्री रंगा और श्री त्रिवेदी की बातों के उत्तर में यह कहना चाहता हूं कि हम अपने प्रण पर पूरे रहेंगे । हमने चीन या पाकिस्तान द्वारा हमारी भूमि पर किये गये कब्जे को नहीं माना है न ही हम उन के दावों को स्वीकार करेंगे । हम अपनी भूमि को स्वतन्त्र करवाने के लिए और शान्ति पूर्वक हल ढूंढने के लिए समय का निर्धारण स्वयं करेंगे ।

चीन के कब्जे में भूमि में कोई भारतीय नहीं रह रहे हैं । मैं विरोधी दल के लोगों को धैर्य रखने के लिए कहता हूं । उन्हें इन बातों का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये । इससे देश कमजोर होता है ।

[श्री बाकर अली मिर्जा]

श्री रंगा इसका हल यह बता रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा के लिए अमरीका से सहायता लेनी चाहिये और 500 करोड़ रुपये बचाने चाहियें। क्या श्री रंगा इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि चीन के अधिकार से भारत की भूमि वापिस लेने के लिए अमरीका हमारे साथ चीन पर आक्रमण करेगा। क्या उनका यह कहना उचित है कि हम रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, चीन और पाकिस्तान से डर कर काम करते हैं। क्या हम डरते थे जब हमने अपने देश के अन्दर एक उपनिवेश को स्वतन्त्र कराया था। क्या तटस्थता पर दृढ़ रहना कमजोरी है। क्या अणु बम न बनाने का निश्चय दुर्बलता की निशानी है क्या अमरीका के गुट में शामिल होना शक्ति का प्रतीक है।

क्या हम अपने आदर्शों को भूल कर अमरीकी आणविक संरक्षण में चले जायें ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री त्रिवेदी युद्ध-प्रिय हैं। विश्व ने युद्ध का मार्ग अधिक समय तक अपनाया है और इस से समय समय पर अपार हानि हुई है। अब हमें शान्ति का मार्ग अपनाना चाहिये। हमने अपने ध्वज के लिए शान्ति चक्र वैसे ही नहीं अपनाया। संसार शान्ति के लिए भारत की ओर वैसे ही नहीं देखता। हमें अपने आदर्शों का पालन करना चाहिये। इससे सभी देश हमारे मित्र बनेंगे।

सभी क्षेत्रों और देशों के लोग शान्ति की प्राप्ति के लिए इकट्ठे होने के लिए स्थान ढूंढ़ रहे हैं। केवल भारत ही वह स्थान हो सकता है जहां सब देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो यह कहा गया है कि हम अणुबम कभी नहीं बनायेंगे, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हमें भारत की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है क्योंकि भारत शान्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए सरकार की शान्ति की नीति उचित है।

Shri Kandle (Latur) : I support the motion of thanks on the President Address.

Paras 15 and 17 at page 5 of the Address relate to Five Year Plans and population. The phenomenal increase in population renders our plan effort somewhat ineffective and we have been helpless spectators on the state of things in the past. Taking into consideration the limited scope of our plan resources it will be in the fitness of things if legislation is brought forward for checking the growth of population. We may, then, restrict this growth effectively. So that production and requirements may keep pace.

Coming to para 19 regarding Scheduled castes and Scheduled Tribes I have to say with regret that these backward classes continue to lead a miserable life as in pre-independence days despite tremendous effort at industrialisation, the impact of which has been felt more or less by other countrymen. The economic and social conditions must be ameliorated. It would have been better if the steps taken in this regard were also mentioned in the Address.

I would suggest that Government land lying vacant may be allotted to them and more employment opportunities created for them. The number of posts declared for them must be filled up by the members of these castes.

Coming to the much discussed topic of the official language and the unfortunate events mentioned at page 6 of the Address. It may be noted that in a democratic country dicision are taken by democratic means and therefore it is necessary that they should be changed also by democratic means. When decisions are changed under duress it is a setback to democracy. The question of Hindi assuming the role of official language was there even before independence and Gandhiji said that National Government, national language and national goods are a matter of pride for us to own. Then every leader of the country agreed that we should have our own language and after much ideological conflicts it was agreed that only Hindi could become our national language in 1965, and this was embodied in the Constitution. The reasons behind such a violent agitation are therefore not known. In 1952, 80 percent of the people made use of Hindi in Hyderabad Assembly and they included people from Andhra, Karnatak, Maharashtra, etc. Even in 1956 when the bi-lingual State of Bombay was formed things went on smoothly and I can say as an ex-MLA of that state that Hindi and the regional language were being made use of smoothly in that non-Hindi Speaking State. Appreciating the difficulties of the people of South India I can say, as a non-Hindi speaking person, that we have got to learn Hindi and Hindi as an official language has been voted by Parliament and there can not be any dispute about it. People could have learnt Hindi in fifteen years. Even then if people of the South have some difficulty, suitable provision can be made against that either by the Centre or the State Government and I think that if Hindi had been implemented at the time of its adoption as official language then these troubles could have been avoided. Hindi belongs to the whole nation, not to a particular area and therefore no amendment in Constitution or Act is necessary. The assurances of our Prime Minister are safeguarded and if any further difficulty arises, that could also be discussed in future.

Cooperative movement does not find any mention in the Address though we are committed to establish a Social order by cooperative method. It is a fundamental thing. I therefore want that the Government should include this fundamental principle in future policies.

The problems of boundary, water and Goa need urgent attention. The Goa question is dragging on for quite some time, when the Goa Legislative Assembly have voted its merger with Maharashtra, we can bring it in Parliament and take a decision thereon democratically. The Godawari-Krishna waters dispute and such other small troubles should be settled in the larger interests of the country and its prosperity and unity.

In the end I will say something about agricultural production. We have prepared plans for them but we have not been able to provide enough amenities to producers. We have not spent enough on them. Their fertiliser, water and good seeds requirements have not been attended to properly and in time and thus they are put to trouble. The problem of unemployment in villages is aslo very acute, because unlike cities they are not united and employment opportunities also are absent in villages. I would request the Government to look into the matter and provide opportunities to the unemployed people in villages. The wandering tribes and families should also be provided with some means of employment and permanent employment to save their children

from meeting the same fate as their parents and get an opportunity of education. I hope that these small matters, like language, Goa and river waters will be settled before the next Address is delivered and we will be told that these problems have been solved.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : वर्तमान सरकार 9 अथवा 10 मास से कार्य कर रही है परन्तु कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकी परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं कि विरोधी दल चकरा गये हैं । नागालेंड से लेकर गुजरात तक और काश्मीर से तमिलनाड तक समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती हैं । हमारे कुछ मंत्री कहते हैं कि हिंसा के आगे कभी नहीं झुकना चाहिये परन्तु जिस प्रकार शान्ति वार्ता चलायी गई है उससे तो यही लगता है सरकार हिन्सात्मक कार्यवाही हुये बिना कुछ ध्यान ही नहीं देती । भाषा के प्रश्न पर भी सरकार उसी नीति पर चल रही है जैसे देश में नेतृत्व का अभाव हो ।

भाषा का प्रश्न ही लीजिये, देश में नेतृत्व के अभाव के साथ साथ लगता है देश की एकता और अखंडता भी खतरे में है सत्ताधारी दल सहित सभी दलों में भाषा की समस्या के कारण फूट है । कांग्रेस में भी परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं । निस्संदेह भारत की अपनी एक राष्ट्र भाषा होनी चाहिये जो केन्द्र के राज्यों के साथ सम्पर्क बनाने के साथ साथ केन्द्र में भी सरकारी कार्यों में बरती जाय, परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि क्योंकि भारत बहु भाषी देश है और भाषा स्थिति इतनी जटिल है कि कोई भी सब से अधिक बोली जाने वाली भाषा एक दिन में ही लोगों पर लादी नहीं जा सकती और मैं बेखटके कह सकता हूं कि यदि ऐसी थोपने की नीति न अपनायी जाती तो पश्चिम बंगाल को हिन्दी स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होती । वहां के दोनों सदनों ने एकमत से अंग्रेजी को जारी रखने के पक्ष में कहा है और इसके विरुद्ध एक भी मत नहीं था । हमें इस प्रश्न की सचाई के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता । संविधान की धारा 348 में राज्यों के उच्च कार्यालयों में, उच्चतम न्यायालय में संसद् द्वारा पारित विधेयकों की अधिकृत प्रतियों और सभी आदेशों की भाषा अंग्रेज़ी ही रखने का उपबन्ध है इसलिये में चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट बताये कि क्या वह संविधान में संशोधन करेगी अथवा किसी और प्रकार की कानूनी गारंटी देगी—यह सरकार पर निर्भर है परन्तु यह बात स्पष्ट है कि कुछ केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने अपने कार्यों से जनता के मन को शंकित कर दिया है । क्योंकि सरकारी कार्यालयों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में उच्च अधिकारी मन माने आदेश करते रहते हैं जो या तो हिन्दी-विरोधी होते हैं या हिन्दी के पक्ष में । इस प्रकार के परस्पर विरोधी आदेशों से जनता के मन में संदेह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है । इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और सुलग रही आग मंत्रियों के बक्तव्यों से भड़क उठती है मुख्य मंत्री सम्मेलन का परिणाम चाहे कुछ भी हो परन्तु यह तो निस्सन्देह ठीक है कि हिन्दी जबरदस्ती ठौंसी नहीं जा सकती । सरकार ने आचार्य विनोबा जी के सूत्र को मान लिया है परन्तु यह तो हमारे सामने पर्दा डालने वाली बात हुई । यदि हिन्दी अहिन्दी भाषी जनता पर नहीं ठौंसी जायेगी और इसी प्रकार अंग्रेज़ी हिन्दी भाषी जनता पर नहीं ठौंसी जायेगी तो फिर सम्पर्क भाषा क्या होगी ? हिन्दी और अहिन्दी भाषी राज्य आपसी संचार किस प्रकार करेंगे ? स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू द्वारा दिये गये

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

आश्वासनों को संविहित रूप दिया जाना चाहिये--जब तक ऐसा नहीं होता और जब तक शंकाएं तथा भय दूर नहीं होते देश के छिन्न भिन्न होने का भय है ।

परन्तु देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषा संबंधी जनून को देश से भी बड़ा मानते हैं । मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने उत्तर प्रदेश के बाबू श्रीप्रकाश, जो कि स्वयं हिन्दी भाषी राज्य के रहने वाले हैं, का लेख दिल्ली के एक समाचार पत्र में पढ़ा जिसमें उन्होंने राजभाषा अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया । कहा जाता है कि श्री मोरारजी देसाई जैसे आदमी भी अब हिन्दी के हिमायती हो गये हैं ।

बाबू श्रीप्रकाश ने कहा है कि संविधान सभा की भान्ति एक बड़ा आयोग यह फैसला करे कि भाषा सम्बन्धी संविधान में संशोधन करे और सारे राज्यों को यह अधिकार दे दे कि प्रत्येक कार्य में वे अपनी भाषाओं का प्रयोग करें चाहे वह न्यायालय हों, चाहे विधान सभायें और चाहे प्रशासनिक विभाग आदि हों । उन्होंने लिखा है कि पुरानी आस्ट्रो-हंगरी विधान सभा में 19 भाषाओं का प्रयोग होता था । ऐसे ही रूस में 16 भाषायें प्रयोग में लाई जाती हैं और वहां कोई सरकारी भाषा नहीं है। इसलिये इन सब बातों का ध्यान रखा जावे और आवश्यकता हो तो संविधान में भी संशोधन किया जाए ।

अब मैं आर्थिक विषय पर कुछ बोलूंगा । योजना आयोग की एक अनुसंधान यूनिट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति व्यय केवल 77 पैसे के लगभग है और उन्होंने आगे कहा है कि इस से भी ठीक पता लगना कठिन है क्योंकि बहुत से परिवारों को केवल 15 रुपया अथवा 25 रुपया मासिक पर अपना गुजारा करना पड़ता है। दूसरी ओर यह देखिये कि देश की आय का प्रयोग कैसे होता है । अभी कल के ही "स्टेट्समैन" ने समाचार दिया है कि "जीवन बीमा निगम " राजधानी में 34 मंजिल भवन निर्माण करवाने का विचार कर रहा है। एक ओर तो बहुसंख्या यहां की भूखमरी के स्तर पर निर्वाह कर रही है और दूसरी ओर हमारे सरकारी विभाग हर चीज़ में पश्चिम के सम्पन्न देशों की नकल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कहीं कोई खास कमी है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है और सरकारी मंचों से भी कहा गया है कि हमारा उद्देश्य समाजवाद है । परन्तु जिस ढंग से अमीर और अधिक अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि समाजवाद और सम विकास की सारी गाथा के पीछे ईमानदारी नहीं है । मैं चाहता हूं कि एक बात वे याद करें कि देश को स्वतन्त्र हुए 17 वर्ष हो गये हैं परन्तु साधारण व्यक्तियों की हालत नहीं सुधरी है । उसके उलट उन पर हर प्रकार के बोझ डाले गए हैं कभी देश की सुरक्षा के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर। परन्तु इस विकास से उनकी आय तो बढी नहीं है और वे अब भी निर्धन के निर्धन ही हैं। अभी तक हमारे लोग सबर से काम ले रहे हैं और शांतिप्रिय हैं । परन्तु हर चीज की सीमा होती है । इसलिये यदि कहीं उनका सन्तोष समाप्त हो गया तो एक ऐसा तूफान आवेगा जिसका अभी किसी को अनुमान भी नहीं है ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं कि यह सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये उसका कृतज्ञ है । इस अभिभाषण में हमारी समस्याओं तथा सरकार की नीतियों को बड़े ठीक रूप से दिखाया है ।

इस वर्ष हमारे देश ने बहुत सफलता प्राप्त की विशेषकर उद्योग तथा विद्युत् के क्षेत्र में। हमारी राष्ट्रीय आय में भी बड़ी वृद्धि हुई है।

गलत अन्दाजे, कार्यान्वित करने में सुस्ती तथा कई और छुपे हुए कारणों की वजह से कुछ क्षेत्रों में काम पूरा नहीं हो सका। कृषि आशा के अनुसार नहीं बढ़ सकी। इस कारण देश के कुछ भागों में खाद्य सामग्री की कमी हो गई। खाद्य सामग्री आयात करने के लिये हमारी विदेशी मुद्रा पर भी बोझ पड़ा जोकि पहले ही से कम थी।

राष्ट्रपति जी ने चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उल्लेख किया यह सदन उसका स्वागत करता है। यह आवश्यक है कि हमें अपनी पिछले 15 वर्ष की सफलताओं का पता रखना चाहिए तथा अपनी कमजोरियों का भी पता रखना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारी योजना एक केवल आदर्शवादी हो अपितु यथार्थवादी भी हो।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे आदमियों ने जो आशा बांधी हैं वे भी पूरी हों। एक बात समझनी चाहिये कि हमारे हां जो क्षेत्रीय असमानता है वह दूर की जावे और यह कहना बहुत कठिन है कि उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। यह काम तब तक नहीं होगा जब तक हम पिछड़े वर्गों के लोगों की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे।

इस बारे में मैं आसाम प्रदेश की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। आसाम का महत्व अब और भी अधिक हो गया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान का आपसी गठजोड़ इस प्रदेश के व्यक्तियों में इस देश के प्रति सन्देह तथा अलग होने की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। यह काम वे धन आदि के सहारे कर रहे हैं। हमारी सरकार को यकीन दिलाना चाहिये कि ऐसे तत्वों का वे पता लगायें तथा उन्हें समाप्त करें। नागा विद्रोहियों की चालें भी इसी प्रकार की जालसाज़ियों का भाग हैं। आसाम का एक और भाग भी अब स्वायत्त शासन की मांग कर रहे हैं और इस कार्य के लिये सरकार ने एक आयोग नियुक्त कर दिया है। यदि उनकी मांग ऐसी है कि वे वहां के मंत्रिमंडल के अन्दर अलग मंत्रिमंडल, तथा वहां की विधान सभा में पृथक विधान सभा चाहते हैं तो हमें यह सोचना चाहिये कि हमारा इस प्रकार का कार्य इस देश की एकता का कार्य कर रहा है अथवा इसके विघटन का कार्य कर रहा है। हमें यह भी सदा याद रखना चाहिये कि राजनैतिक स्थिरता का कारण आर्थिक स्थिरता होती है। इसलिये हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वहां के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारें क्योंकि केवल खाली पेट पर लोगों का साहस नही बन्धता है।

मुझे यह कहते हुये बहुत दुःख होता है कि आसाम में प्राकृतिक साधनों के बहुत होते हुए भी वहां के लोग गरीब हैं और वहां कीमतें सब से अधिक हैं और रोजगार के साधन भी सब से कम हैं और इस सब के ऊपर वहां पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग अवैध रूप से घुस गये हैं उन्होंने एक कठिन समस्या खड़ी कर दी है। हमें वहां देशद्रोही तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिये। बाकी रहा वहां की बाढ़, अथवा भूचाल आदि का आना तो इसके लिये हमारा दोष नहीं है।

यातायात तथा संचार की सुविधायें वहां बहुत कम होने के कारण पूंजीपति वहां रुपया लगाने में झिझकते हैं और ऐसे ही वहां कच्चा माल भेजना तथा वहां से बनी हुई वस्तुओं को बाहर भेजना कठिन है और इसलिये वहां मूल्यों में वृद्धि हो गई है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि यातायात तथा संचार आदि की व्यवस्था को सुधारने का कार्य स्वयं अपने हाथ में ले। मुझे दुख है कि देश की रक्षा को देखते हुए वहां की समस्याओं को जो महत्व दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सारी समस्यायें हल हो जावेंगी।

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

अब मैं कुछ शब्द राष्ट्रीय भाषा के संबंध में कहना चाहती हूं। इस बारे में दक्षिण में कुछ झगड़े भी हुये। हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि अन्त में तो हिन्दी को ही अंग्रेजी का स्थान लेना है परन्तु एक बात पर हम सब को सहमत होना पड़ेगा कि हम सबको उनमें सरकार तथा हिन्दी प्रदेशों के लोग और अहिन्दी प्रदेशों के लोग सब लोग शामिल हैं, पिछले 17 वर्षों में वह सब कुछ नहीं किया जो करना चाहिये था। इसलिये हमें चाहिये कि अहिन्दी राज्यों के लोगों के डरों को दूर करें और ऐसा ढंग निकालें जिससे यह समस्या ऐसे तरीके से हल हो जावे कि सब उससे सन्तुष्ट हों।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का स्वागत करती हूं।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : In the President's Address the question of Hindi has been prominently referred to. I have never tried to represent Hindi wrongly. I am also happy that reaction of the Hindi speaking people has not been as that of the people in the South. As the Hindi has occupied a place of responsibility therefore it is the duty of the Hindi people to behave responsibly. They should show forbearance.

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*)

I may be allowed to state that all the big leaders of Bengal and Madras have in the past accepted Hindi as the common language of the Country. Father of the nation, Gandhiji was also of the same view. We should encourage those people in the North who want to learn the South Indian language. My point is that the question of Hindi should be considered with a rational attitude. It must not be made a question of the North and the South. The fact is that Hindi is the only one language of the 14 languages enumerated in the Constitution. All the languages have equal status. This should be very clearly understood by all that there is no conflict between Hindi and other regional languages. A misunderstanding have been created by some interested people. There is absolutely no imposition on anybody. It should be noted that in the face of all provocative anti Hindi actions, the Hindi speaking people have remained calm.

It is true that much less has been done in this direction. We have lost practically 17 years, the period within which Hindi could be propagated all over the country. Government have not given any special facilities to the people of the South to learn Hindi. Similarly there has not been an effort to teach South Indian languages to the people of the North. If this had been done the people belonging to the various parts of the country could come closer to each other.

I feel that nothing has happened after the 26th January, 1965 which may warrant the anti Hindi agitation that have been launched in the certain parts of the country. Hindi has been made the national language as 21 crores of people knew it. This is absolutely absurd to say that Hindi has been imposed. It has only attained the status which have already been assigned to it many years ago by the Constituent Assembly.

I may hope that the leadership of the country will rise to the occasion and restore mutual confidence. It is the duty of the Hindi States to properly

implement the three language formula and see to it their students were taught at least one South Indian language. I would also impress upon the Government that the arrangements may be made to impart training to the Central Government employees so as to enable them to do their work in Hindi. A special grant of Rs. two crores should be available to each state to promote the course of Hindi.

In the end I may only stress that we should try to remove misunderstandings which have really been responsible for this present trouble. We should try to improve matter and formulate a good program in this connection. We must try to understand the difficulties of the South and do our utmost to remove them.

श्री मनोहरन (मद्रास--दक्षिण) : मुझे अपने दल की ओर से भारत सरकार की भाषा नीति का स्पष्ट चित्र सदन में प्रस्तुत करना है। हमें इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता और स्पटता से बात करनी चाहिये। जो लोग मर खप गये हैं उनके विचारों के उल्लेख से कुछ लाभ नहीं। जीवित लोगों के पुराने विचार भी आज काम नहीं आ सकते।

आरम्भ में ही मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दक्षिण में हिन्दी विरोधी आन्दोलन द्राविड़ मुनेत्र कड़गम दल ने आरम्भ नहीं करवाया। यह तो स्वभाविक तथा लोकप्रिय जन उत्थान था। वहां इस बारे में कोई मतभेद नहीं रहा था। लोग राजनीतिक सम्बन्धों से ऊपर उठ कर अपनी आकांक्षायें व्यक्त कर रहे थे। वे भाषा का अपना अधिकार प्राप्त करने की मांग कर रहे थे। अहिन्दी भाषी राज्यों में भाषा के मामलें में धीरे चलो की नीति अपनाने की मांग की गई थी। हिन्दी के मामले को लेकर दक्षिण तथा पश्चिम बंगाल के विद्यार्थीगण बहुत भयभीत हो उठे थे। उन्हें अपने भविष्य की चिन्ता हो उठी थी। इस पृष्ठ-भूमि के कारण ही मेरा निवेदन यह है कि हमें भाषा समस्या को गम्भीरता से तथा निष्पक्ष रूप में अध्ययन करना चाहिये। तब ही हम इसका कोई स्थायी तथा ऐसा हल निकाल सकने में समर्थ हो सकेंगे जो कि सभी पक्षों को स्वीकार्य हो।

भारत के इस महाद्वीप में कई समाज, कई वर्ग, कई संस्कृतियां और विभिन्न प्रकार की जलवायु उपलब्ध होती है। सघन जनसंख्या और सारे देश भर में कई भाषायें बोली जाती हैं। अतः मेरा यह निश्चित मत है कि भारत संघ की केवल एक ही भाषा राज भाषा नहीं हो सकती। हिन्दी तो हो ही नहीं सकती। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां थीं जिसमें कि हिन्दी को राजभाषा माना गया था। हमें सारी स्थिति पर पुनः विचार करना होगा। देश का संविधान फिर से बनाना होगा। आज की जो स्थिति है उसे समक्ष रख कर जनता की उचित मांगों की ओर ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से मेरा निवदन यह है कि संविधान में भी पर्याप्त संशोधन किया जाना चाहिये। आज श्री नेहरू जी के वायदों की बात की जाती है। परन्तु हमें याद रखना चाहिये जो व्यक्ति आज नेहरू जी के आश्वासनों की बात करते हैं वह सदा के लिए सरकार में नहीं बने रहेंगे। इसलिये यह मांग है कि उन आश्वासनों कों संविहित रूप देना बड़ा आवश्यक है। यह इस लिये भी आवश्यक है कि कि लोगों का यह भय भी दूर हो जाये कि उन पर हिन्दी थोपी जा रही है :

मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दक्षिण के लोग तभी आश्वस्त होंगे जब कि सभी सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी चलता रहेगा। संघीय काम-

[श्री म रोहरन]

काज, संसद् की कार्यवाही आदि के बारे में संविधान में संशोधन किया जायेगा। संविधान में यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी रहेगा जो कि केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग द्वारा कराये जाते हैं। सभी अखिल भारतीय सस्थानों में शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही रहेगा। जब तक कि संसद् कानून द्वारा ऐसा न करने का आदेश न दे दे।

बहुभाषावाद अर्थात् संविधान में उल्लिखित सभी 14 भाषाओं को संघ की राज भाषाएं बना देना भाषा के प्रश्न का स्थायी हल होगा। तब तक अंग्रेजी चलती रहनी चाहिये। विभिन्न क्षेत्रों की शालीन संस्कृतियों में तालमेल का कार्य हिन्दी जसी कमजोर भाषा नहीं कर सकती। इसलिये यह सम्पर्क भाषा नहीं हो सकती।

Shri S. N. Chaturvedi (Ferozabad): There is a shadow of what happened in the South in the address of the President. Every patriotic Indian is pained at whatever has taken place in the South. It compels us to think about the way our country is going. The language issue has taken a very serious turn and the agitation in the South poses a great threat to national unity. We fail to understand why all this is happening there. The Official Languages Act gave statutory sanction to the assurances given by the late Shri Jawaharlal Nehru. English has been made an associate language, so that the people of the South may not feel any difficulty. The difficulties of the non-Hindi Speaking people have always been kept before taking any decision in this direction. I am of the opinion that the misapprehensions have been created amongst the people of the South by those, who are not in favour of the unity of the country and wanted the division of the motherland.

It should be also understood that so far as the question of making Hindi a medium for all-India Services is concerned, there should be no fears. In order to impel the undue apprehension, a moderate formula can be evolved in this matter. English can and would also continue as one of the media. So there is no difficulty.

As far as the development of Hindi is concerned, I may humbly submit that Hindi would develop if only it is used more and more. But it is really sad that its use as official language is being opposed. There is no justification of a violent agitation in order to plead for a change in a particular act or law. This method create wrong precedents and harm the successful working of democracy. Such methods should be severely condemned, if we want the unity of the country.

Let me tell you that whatever have happened in the South and the way the students have behaved clearly tells us the way the country is drifting. The new generation is frittering away its energies in acts of violence and destruction. Today there are very serious problems before the country, but new generation seems to be regardless towards those internal and external problems. They are wasting their energies in useless things. I urge upon this House that we should give a serious thought to the manner in which attempts are being made to solve our problems, otherwise I feel the future of democracy in the country is in danger.

डा० श्रीनिवासन (मद्रास—उत्तर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जितने भी सदस्यगण बोले हैं, सभी ने भाषा-प्रश्न पर ही अधिकांश रूप से विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी पहिले भाषा प्रश्न पर ही बोलूंगा।

मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन को डी० एम० के० पार्टी, भारत-विरोधी तथा समाज-विरोधी दलों द्वारा आयोजित किया गया था। परिणामस्वरूप हिंसात्मक कार्यवाहियां हुईं, कई अग्निकाण्ड की दुर्घटनायें हुईं और जान तथा सम्पत्ति को क्षति पहुंची। फिर केन्द्र से पहिले अंग्रेज़ी में आने वाले पत्र हिन्दी में आने लगे। परिणामतः मद्रास के सभी लोगों, यथा वकीलों, प्रोफेसरों, डाक्टरों, शिक्षितवर्ग तथा अनपढ़ों को यह सोचने के लिए बाध्य किया गया कि अंग्रेज़ी नहीं रहेगी और हिन्दी अहिन्दी भाषी लोगों पर थोपी जायेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का पैरा 21 का जनता ने स्वागत किया है। अतः ऐसी स्थिति में मेरा हिन्दी भाषी मित्रों से अनुरोध है कि वे स्थिति को जिसकी ज्वालायें धीरे-धीरे आन्ध्र, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की ओर भी बढ़ रही हैं, भली प्रकार समझें। अतः मैं मद्रास की विधि-निष्ठ जनता की ओर से इस बात को दोहराऊंगा कि भाषा के प्रश्न पर सरकार को 'संविहित गारंटी' देनी चाहिये जिससे डर सदा के लिए दूर हो जावे और इससे शान्ति तथा स्थिरता स्थापित होगी।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र के दो मंत्रियों ने विशेष चिन्ताजनक स्थिति पर अपने-अपने त्यागपत्र दे कर स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया, गोकि मैं यह नहीं जानता कि उनके त्यागपत्र देने में कहां तक वैधानिक औचित्य था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैरा 17 देश की बढ़ती हुई जनता को निर्देश करता है। समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अतः स्थिति पर काबू पाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा कि वहां "नियोजित पे रेन्टहुड एसोशियेशन्स" बने हुए हैं और किसी भी परिवार में तीन से अधिक बच्चे नहीं हैं।

मद्रास शहर में पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं है। हमें आश्वासन दिये गये हैं कि मद्रास शहर में 15 टी०एम०सी० जल की व्यवस्था की जायेगी, किन्तु इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अतः वहां पर्याप्त पानी की सप्लाई निश्चयात्मक बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में समान स्तर तथा पद वाले कर्मचारियों के वेतनों में बहुत अन्तर है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता अथवा ऋण दिया जाना चाहिये जिससे कि उनके कर्मचारियों के वेतन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों के बराबर में लाया जा सके।

आज देश में खाद्य की स्थिति कमज़ोर है और हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत विदेशों से अनाज आयात कर रहे हैं। अतः भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ताकि भूमि का हर टुकड़ा उसके लिये उपयुक्त सबसे बढ़िया फसल बोने के काम में लाया जा सके, इससे देश की शीघ्र प्रगति होगी और हम खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

अविवाहितों को अधिक आय-कर देना पड़ता है। किन्तु वे परिवार नियोजन में सरकार की सहायता कर रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उन

[डा० श्रीनिवासन]

पर अधिक आय-कर न लगायें, क्योंकि उनकी भी दूसरों की भांति जो कम आय-कर देते हैं, कई जिम्मेदारियां हैं। इसलिये वित्त मंत्री जी को आयकर-ढांचे में उचित संशोधन करना चाहिये।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं इस सदन का ध्यान भ्रष्टाचार के कुछ घोर और लज्जाजनक मामलों की ओर आकर्षित करूंगा जिनसे इस देश के निवासियों के मन में उत्तेजना पैदा हो रही है और ये मामले राष्ट्र को नैतिक पतन की ओर ले जा रहे हैं। इस बढ़ते हुए आतंक और बुराई को दबाने की परम आवश्यकता थी जिसकी प्रतिध्वनि हमें संथानम् समिति के प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री महोदय की 7 मई, 1964 की जोरदार घोषणा में सुनाई पड़ती है। गृह-कार्य मंत्री महोदय ने 30 नवम्बर, 1963 को प्रतिज्ञा की थी कि वह दो साल के अन्दर ही भ्रष्टाचार-उन्मूलन-कार्य में सफल हो जायेंगे।

उड़ीसा विधान सभा के कई सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक स्मरण पत्र भेजा था जिसमें राज्य के वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये थे। यह खेद की बात है कि प्रधान मंत्री ने उन सब आरोपों को यह कह कर कि वे प्रशासनिक अनौचित्य के बारे में हैं, उपेक्षा कर दी। किन्तु उड़ीसा में साम्प्रदायिक दंगे होने लगे, छात्रों में अशान्ति पैदा हो गई और अन्त में वहां जन-जागृति भी पैदा हो गई। उड़ीसा के प्रशासन में नैतिक पतन हो गया, छात्रों पर गोलियां चलायी गईं, विधि-निष्ठ नागरिकों तथा सरकारी कर्मचारियों को झूठे बहाने बना कर जेलों में बन्द किया जाने लगा, और भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा आपात की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इसके बाद मुख्य मंत्री का त्याग पत्र और पुनः निर्वाचन तथा उनकी यह घोषणा कि वह केवल एक रुपये के बदले अपनी सारी सम्पत्ति दे देंगे, बहुत बड़ी चालें थी। दूसरी तरफ आरोपों की पुष्टि करने के लिए शिकायत करने वालों को कोई अवसर नहीं दिया गया था। केन्द्रीय जांच विभाग (सी. बी. आई.) के पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने न केवल प्रत्यक्ष मामला बनाने के लिए ही अच्छा काम किया, अपितु व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए मामलों में यथा फाइलों की गड़बड़, और कपट, धोखेदेही, शक्तियों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत पक्षपात आदि जिसके कारण उड़ीसा सरकार को 1 करोड़ रुपये की भारी हानि उठानी पड़ी, सम्बन्धित व्यक्तियों को अपराधिक दायित्व के लिए घोर आरोप लगाकर जिम्मेवार भी ठहराया।

केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसे गोपनीय नहीं रखना चाहिए था क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को और भी प्रोत्साहन मिलता है। जब कि सरकार प्रताप सिंह करों और बक्शी गुलाम मोहम्मद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये "जांच आयोग" नियुक्त किया जा सकता है तो इसी प्रकार जांच आयोग नियुक्त न करने का कोई औचित्य नहीं था।

श्री बिजू पटनायक ने सबसे पहले मिली जुली सरकार के आदेश अथवा अधिसूचना को मिटा दिया और सरकार आवश्यक वस्तुओं की खरीद संभरण तथा निबटान के महा-निदेशक के द्वारा न करा कर "उड़ीसा एजेन्ट्स" के द्वारा 'कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड' से सप्लाई करवाई गई। यह खरीद डी० जी० एस० एंड डी. द्वारा निर्धारित दरों से ऊंची थी। भारत

सरकार के विभाग तथा अन्य राज सरकारें 'कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड' से ही ऊंची दर पर खरीद करते थे और उड़ीसा सरकार अप्रैल, 1962 तक "उड़ीसा एजेन्ट्स" से ही खरीद करती रहती थी। बाद में उसे "उड़ीसा एजेण्ट" के द्वारा खरीद करनी पड़ती थी जिससे दरें और भी अधिक ऊंची हो जाती थी। क्योंकि 17 जनवरी, 1961 के परिपत्र के अनुसार ऐसा किया जा सकता था। इस अवधि में उड़ीसा सरकार को 20 लाख रुपये की अधिक धनराशि "उडीसा एजेन्ट्स" को भुगतान करनी पड़ी ; और यह "उड़ीसा एजेन्ट्स" श्री विरेन मित्रा की पत्नी श्रीमती ईश्वरम्मा मित्रा की एक मात्र फर्म थी जिसे सारे राज्य में एक मात्र अधिकार प्राप्त हो गया था।

अब मैं प्रदीप बन्दरगाह के बारे में बड़ा आश्चर्यपूर्ण भेद खोलूंगा।

17 नवम्बर, 1961 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि सारी जालसाजियां इस तारीख को तय पाई थीं। उसी तारीख को एक परिपत्र जारी किया गया था। उसी तिथि को उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव श्री शिवराम ने नेवेली निगम को एक श्री श्रीनिवासन नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा कि वह उसे उड़ीसा सरकार में नियुक्त करना चाहते हैं हालांकि उसके विरुद्ध मद्रास राज्य में विशेष पुलिस विभाग का एक अभियोग था जिसकी संख्या 3759 है। श्री श्रीनिवासन ने 16 जुलाई, 1962 को प्रदीप बन्दरगाह के मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक के रूप में कार्य भार संभाला। अभी उसकी नियुक्ति को 5 दिन ही हुए थे कि उसने यह सिफारिश कर दी कि कांलिगां इण्डस्ट्रीज से 16 लाख रुपये के मूल्य के नलाकार ढांचे (Tubular Structure) खरीदे जावें हालांकि उनकी प्रदीप बन्दरगाह के प्राधिकारियों को तुरन्त आवश्यकता नहीं थी। उसने यह भी सिफारिश कर दी कि जो शर्त कांलिग इण्डस्ट्रीज़ लगाये उन्हें मान लिया जावे और वह यह थी कि उसे 90 प्रतिशत रकम पेशगी दे दी जावे। उसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने श्री बिजोयानन्द पटनायक जो उस समय वहां के मुख्य मंत्री थे के अनुमोदन से कलिंग इंडस्ट्रीज को 14 लाख रुपये दे दिये हालांकि अभी इस फर्म को आर्डर दिये केवल 24 घंटे ही हुए थे।

यह हालत हो रही है। यद्यपि इन नलिकाकार ढांचों के लिए आदेश अगस्त, 1962 में दिया गया था लेकिन अगस्त, 1963 तक अर्थात् एक वर्ष पश्चात् तक इनका बहुत सा भाग जिसका मूल्य लाखों रुपए था कांलिग इंडस्ट्रीज के ही स्थान पर बेकार पड़ा रहा और श्री श्रीनिवासन ने स्वयं अपने 6 अगस्त 1963 वाले पत्र में, राज्य के वाणिज्य विभाग के सचिव को लिखा कि वह इस माल को उठाने में असमर्थ है क्योंकि बन्दरगाह को इनकी आवश्यकता नहीं है और यह समुद्र तट की खारी जलवायु को नहीं सह सकेगें। इस प्रकार यह सारे धोखे किये गये और राज्य को एक करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटा पड़ा। इसलिये कोई भी कार्यवाही यदि वह जांच आयोग बिठाने से कम है उस से लोगों में गलत धारणा फलेगी और केन्द्रीय सरकार पर भी यह आरोप लगेगा कि उड़ीसा सरकार ने जो वहां की निर्धन जनता का रुपया लूटा है उसमें इनका भी हाथ है। इसलिये वहां की सरकार को पदच्युत कर देना चाहिये चाहे इसके लिये आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि वही दल सत्ता में चला आ रहा है। इस समय जो मुख्य मंत्री हैं उनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में स्पष्ट ढंग से उल्लेख है कि उन्होंने कुछ रियायतें दी थीं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप नये मुख्य मंत्री को क्यों इसमें लाते हैं।

श्री प्र० के देव : जांच में नये मुख्य मंत्री के बारे में भी जिक्र है।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : महोदय मैं आपका ध्यान नियम संख्या 352 की ओर आकर्षित करूं। वह एक राज्य के मुख्य मंत्री जसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जावे।

श्री प्र० के० देव : श्री बी० पटनायक कांग्रेस दल के सचिव बन गये हैं और श्री बिरेन मित्र की प्रदेश तथा जनता के प्रति सेवाओं की प्रशंसा एक प्रस्ताव द्वारा की गई है जो उन्हें भेंट किया गया है।

इसलिये सारे का सारा ढांचा ही बदल देना चाहिए। वहां के मुख्य सचिव को बदला जावे। और अन्त में मैं बड़े जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूं कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जावे। अन्यथा श्री नन्दा जी को सदाचार समिति स्थापित करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध बेकार होंगे।

अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि बढ़ते मूल्य और भ्रष्टाचार लोकतन्त्र में आस्था रखने वालों को भ्रष्ट करने के मुख्य कारण हैं। आप बढ़ते मूल्यों को रोकने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफल रहे हैं और इसलिये आप लोकतन्त्र को असफल करने के लिये उत्तरदायी हैं।

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : Mr. Deputy Speaker, I support the motion of thanks on the President's address.

I think the President's Address is an indication of the success of Government's policies, its past deeds and the development works. I may submit that the criticism of the opposition parties is only one-sided. They have not taken into consideration the advance made by the country and the success it has made. The opposition parties are in the habit of criticising the Government.

The opposition parties should have taken into consideration that national income which was Rs. 8650 crore in 1950-51 has increased to Rs. 15400 crore in 1963-64. Similarly the production of coal has increased from 328 lakh metric tons to 663 lakh metric tons and that of iron ore has gone up from 30 lakh tons to 148 lakh tons. Again the production of machine parts has gone up from Rs. 30 lakh to Rs. 2010 lakh.

Cycles which were produced of the amount of Rs. 99 thousand has gone up to Rs. 1259 thousand. Similarly there is increase in the production of fertilisers and cement. Are these figures not an indication of the country's progress? It is true that we had to face certain failures and the targets of certain projects could not be achieved. This does not mean that achievements should be ignored.

The opposition parties too have failed in their targets *i.e.* the target which they fixed in 1952 that they would dislodge congress from power or that they would form a united party to solve this purpose.

The opposition parties expected chaos after the demise of late Prime Minister, Shri Nehru. But Congress leaders and its members of Lok Sabha elected their leader in a democratic manner, the parallel of which is not available. This has impressed not only the people of India but people in foreign countries.

Congress party is becoming strong whereas in the opposition parties there are splits. They behave like a defeated team.

I think only those people accuse the government more who get more benefits from it. I have seen people who get foodgrains and sugar on cheap rates, they criticise the government more. Even members of Parliament after their recent increase in salary, are more critical of the Government.

I have no hesitation that in certain respects we have lagged behind and we should pay our attention to that so far as the farmers are concerned, they are suffering most but in a brave and faithful manner. Unless and until we pay heed towards them this country cannot advance much. What he produces has to be sold on cheap price whereas what he buys is available at higher price. The farmer works hard throughout the year and yet his plight is miserable.

If we had utilised the amount which we spent on import of foodgrains, to better the condition of our farmers, we would have advanced much.

It is not necessary that you go to a farmer and persuade him to do this or that or that you give him some education. But is required is that we help him in getting him resources and other necessary things. Then you will observe that production rises. If the present crop is good, it is only because now he is getting proper price for his stuff.

I find one defect in the President's Address and it is that he has made no mention about the cooperative sector. In the private sector the beneficiary is the capitalist whereas in the public sector it is the government servants who benefit more. But in a cooperative sector it is good for all. I can say that neither the capitalist nor those engaged in the public sector like the cooperative sector. Even the ministers, other than the minister dealing with cooperation, do not like this. There is sometimes a cry that the department of Cooperation should be merged with some ministry. I want the government to take it further and no attempt should be made to put an end to this department. Even a great leader like our late Nehru wanted encouragement to this cause.

I now want to say something about language issue. Regarding the position of Hindi I can only compare its lot to other distinctions. There is a distinction between a person of high caste and that of low caste. Again there is a difference between an exploiter and the one who is exploited. The same difference I find between English and Hindi. Retention of English is causing great harm to our honour. Only a man who knows English language is considered to be an educated man. A person knowing Hindi but not knowing English is not considered to be an educated one. If you want to create a sense of nationality and pride among the people, you will have to replace English by Hindi. I have no objection against other regional languages but as the non-Hindi speaking people urge that Hindi should not be imposed on them, I demand that English should not be imposed on us. We accepted partition of the country in the false hope of avoiding bloodshed. But it did not solve any purpose. Now again in the hope of avoiding bloodshed we want to retain English. We should not show any weakness on this issue. If you want the unity of the nation and that people should feel proud and tell people of other countries that they too have a language of their own, then I would request that no change should be made to what has already been given in our Constitution. Hindi should be the national language of India and it should be developed.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ।

श्री वाजी : इसके पहले कि माननीय सदस्य अपना भाषण आरम्भ करें सदन में मंत्रिमंडल का कोई सदस्य तो उपस्थित होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : श्री राज बहादुर हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि उनकी पदोन्नति कर दी जायगी। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि जब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा हो कम से कम मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सभा में उपस्थित रहना चाहिय।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The President's address is very disappointing. I feel frustrated. He said that threat from China still continues. I would say that our policy in regard to China has been wrong for the last 15 years. Government should revise its policy. We made a mistake by recognizing the Peking Government when there existed Formosa Government. For example Germany. It has been bifurcated. We should give recognition to East Germany as we have done in this case of West Germany. Similarly we should accord recognition to Formosa Government. Peking regime is accusing us of allowing by us the policy of two Chinas.

[इस समय संचार तथा संसद कार्य मंत्री श्री सत्यनारायण सिंह ने सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।]

श्री रंगा : अब वह आ गये हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें याद है कि माननीय सदस्य के भाषण आरम्भ होने के समय यह कहा गया था कि अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद के दौरान कम से कम एक मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य हो सभा में उपस्थित रहना चाहिये। कोई ऐसा मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं था अतः यह आपत्ति उठाई गई थी। अब संसदीय कार्य मंत्री ने आने की कृपा की है मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार जानबूझ कर इस प्रकार अशिष्टाचार नहीं दिखाया जायगा। मैं मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अध्यक्ष के प्रति अशिष्टाचार है।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं यह जोरदार प्रतिक्रिया समझ नहीं पाया हूं।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये
Shri Thirumala Rao *in the chair*]

Shri Madhu Limaye: I would request the Government to declare categorically that our policy in respect of China has been wrong for last so many years and we will give a new shape to it now onwards.

I was surprised to read the statement of Shri Nanda on the arrest of leftist communists in India. On the second page of the Report it is mentioned that it was in 1959 that a powerful communist Government was established in Tibet and it was a threat to the security of India. The surprising thing is that it is said that it was in 1959 that a strong Government was set up. In fact it was in 1950 and 1951 that the freedom of Tibet was finished by China. The culprit was China. I would add this also that Government of India and the late Prime Minister supported this act of China. They are equally to blame for this. Now Shri Nanda says that the leftist communists have welcomed Chinese action in Tibet. The rape of Tibet and then its approval by Government of India are a blot on the face of the Government. Shastri Government should apologise to the people of Tibet and India and admit that its policy has been a wrong policy. We should make efforts to free Tibet from the clutches of China. We should render all possible help to the people of Tibet.

Tibet had been a free country for 50 long years. Mongolia's case is there. Russia and China had entered into an agreement in 1924. According to this Mongolia was a part of China, but later on the people of Mongolia revolted against it and Russia helped them. It became a free country. Even now the Peking Government recognizes it. Similarly we should help the people of Tibet to attain freedom.

What does the new policy in regard to China mean ? First of all we should break our diplomatic relations with that country. The Prime Minister and the External Affairs minister should declare in clear terms that we will have no dealings with China. Only then we can restore confidence in our people that our Government really means business.

Government has armed itself with special powers on the pretext of emergency. The proclamation regarding emergency was made when China had attacked our country. At present there is no war going on. We are maintaining diplomatic relations with China. We send messages of good wishes. In such circumstances emergency seems to be an unnecessary.

Government have got enough powers under the Constitution and other laws. The state of emergency should be ended at once.

In the economic sphere we have disparities in all walks of life. The rich have become richer and the poor poorer. We are in the midst of our third plan. Discussions in regard to the formulation of fourth plan are in progress, but if there is no scheme to remove the existing disparities, the entire economic planning is of no use.

I give some figures in this respect. Dr. Lokanathan's Research Institute has collected some statistics in regard to *per capita* income of various states. It shows that in 1955-56 *per capita* income was as follows :

	Rs.
West Bengal	295
Maharashtra	287
Punjab	277
Bihar	149
U.P.	178
Orissa	187

This Institute made research after five years. It shows that the disparities have increased during the intervening period. The figures in regard to 1960-61 have been published in a book. It shows that *per capita* income is as follows :

	Rs.
Delhi	87
Maharashtra	468
West Bengal	464
Punjab	451
Bihar	220
Rajasthan	267
Orissa	276

It indicates that position in regard to disparities has gone from bad to worse during these years.

[Shri Madhu Limaye]

Same is the case in respect of social disparity. Only a few highly placed castes get into All India services. The backward classes are lagging behind. There should be equal opportunity for all classes of people.

On the question of language I would suggest that languages of masses should be adopted.

The atmosphere of corruption is prevalent in the country.

Shri Braham Prakash (Outer Delhi): Mr. Chairman, President has referred to so many important things in his Address. I also want to say something on a few important topics. I welcome President's Address and congratulate him for having addressed Parliament.

I want to say something in regard to Delhi. It is very important. It is my duty to mention that. I am sorry that President has not said anything about it. Government has been assuring for the last three years in this respect. It was stated that a Bill will be brought forward in the case of Delhi.

There is no effective administration in union territory of Delhi at present. There are so many authorities which are always quarrelling among themselves and as a result the people of Delhi have to suffer. Their unanimous demand is that Delhi should have an elected assembly and that should run the administration. It is pointed out that there cannot be two capitals in one place. I feel that those who advance this argument have lost faith in democracy. You can call that assembly by some other name. There should be some body which will be responsible to the people. All the parties have demanded that a representative Government should be set up in Delhi.

I must refer to the question of language. It is a national problem. You cannot impose any language even on a small area. I have been a supporter of Hindi. It is a pity that some friends want to impose it on others. It is not proper. They are doing injustice to themselves and to the country.

Shastri Government is being put to disrepute on this question. People want to gain political capital out of troubled waters. It is cowardice and shows lack of patriotism on the part of these elements. We talk of aggression by China and Pakistan. I would say that question of language is all the more explosive. If this problem is dragged to the extremes, it can be the cause of disintegration of our country. I would request my friends who support Hindi, to be a little wise and save the country from disintegration.

There is a great responsibility on the shoulders of the Prime Minister. Ever since he has assumed office has been trying in an effective way for the solution of intricate problems. He has done nicely in regard to the questions of prices and atom bombs. I hope he will provide a real leadership on the question of language also.

I will say that we should have three languages in the country. In the first stage we should teach mother tongue. Those who say that English is a symbol of slavery are mistaken. It is a language of progress. We are dealing with the outside world in all spheres of activity, then why should we have not a language from outside ? I am surprised to find that those people who are against English, use this very language themselves.

Then we should have a link language. It can be Hindi. Thus there should be mother tongue, English and Hindi.

I have to say that Hindi protagonists are doing great harm to Urdu. It is a language which was born in Delhi. It developed here. It is popular in Delhi, U.P., Punjab, Rajasthan and Hyderabad. It should be given proper protection and encouragement.

I will say with all respect that we should be broad-minded on the question of language.

श्री बदरुद्दुज (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी ऐसी लोक महत्व की बातें कही गई हैं कि जिन पर जनता तथा सरकार को गम्भीरता से विचार करना है। मैं अपनी बात को राजनैतिक, धार्मिक, तथा भाषा के अल्पसंख्यकों तक ही सीमित रखूंगा। हमें भाषा के प्रश्न को बहुत सावधानी से हल करना है। अन्यथा इसके बहुत गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि दक्षिण में हुई घटनाओं को पहले से ही भांपा जा सकता था। यह बात सत्य भी मालूम पड़ती है। यदि हमारे कर्णधार तनिक बुद्धि से काम लेते तो दुखद घटनायें नहीं होतीं। इस अवसर पर कांग्रेस के नेतागण तथा सरकारी अधिकारी बिल्कुल असफल हुए हैं। वह स्थिति को ठीक प्रकार से जान ही न पाये थे।

मैं प्रधान मंत्री का उन के महान गुणों का पूरा आदर करता हूं। वह विनम्रता तथा दियानतदारी की मूर्ति हैं। परन्तु यदि वह अपना रेडियो पर 12 फरवरी, 1965 का भाषण कुछ पहले दे देते तो छात्रों की भावनायें उत्तेजित न होतीं और यह आग न भड़कती। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने कुछ ऐसे वक्तव्य भी दिये जिनसे वातावरण खराब हो गया था इस के अतिरिक्त कुछ सरकारी विभागों ने ऐसे परिपत्र जारी किये कि जिससे स्थिति और खराब हो गई।

यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गड़बड़ वाले स्थानों पर न प्रधान मंत्री ही गये और न गृह मंत्री ही गये। कांग्रेस प्रधान ने भी वहां जाना जरूरी नहीं समझा। ये लोग वहां जा कर लोगों के सन्देह दूर कर सकते थे। भाषा समस्या एक बहुत ही गम्भीर समस्या है, देश का भविष्य और भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। राजभाषा का प्रश्न कोई सरल प्रश्न नहीं है। संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय उस समय किया गया जब कि अभी हम में आजादी प्राप्त करने का जोश था। निर्णय लिया भी एक मत से था। यद्यपि यह खतरा तो उत्तरदायी लोग महसूस करते थे कि हिन्दी को विकसित करने में समय लगेगा। और तब तक अंग्रेज़ी को चलाया पड़ेगा। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि भाषा एकता का सूत्र है, परन्तु इससे विघटन भी हो सकता है। तो इस तरह परिस्थितियोंवश अंग्रेज़ी को महत्व देना ही पड़ा।

इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने जो आश्वासन दे रखे थे उन्हें उन्होंने 1963 में राज भाषा विधेयक पर बोलते हुए दोहराया था। और जो सन्देह अहिन्दी भाषी लोगों में थे, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया था। परन्तु अहिन्दी भाषी लोगों के सन्देह उससे दूर नहीं हुए थे।

[श्री बदरुद्दुजा]

उसी का परिणाम है कि भीतर ही भीतर यह अविश्वास की आग सुलगती रही और 26 जनवरी, 1965 के बाद भीषण रूप में सामने आ गयी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मेरा निवेदन है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी यदि अपने आश्वासनों से दक्षिण वालों के भय को दूर न कर सका तो हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री क्या दूर करेंगे । मेरे दिल में दोनों व्यक्तियों के लिए आदर है, परन्तु आज उर्दू से जो व्यवहार किया जा रहा है, उससे आप अनुमान लगाइये कि इस प्रशासन से क्या आशा की जा सकती है । उर्दू भाषा का यहां प्रतिनिधित्व एक आध व्यक्ति ने ही किया है । कितने खेद की बात है कि उर्दू भाषा को प्रादेशिक भाषा का स्थान नहीं दिया गया है । उसे ओसमानिया विश्वविद्यालय से भी निकाल दिया गया है । इस भाषा को उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है । त्रिसूत्रीय भाषा व्यवस्था में भी इसे अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया है । मेरा निवेदन है कि हिन्दी के साथ साथ सभी भाषाओं का समान आदर किया जाना चाहिये । परन्तु 30 प्रतिशत की भाषा 60 प्रतिशत पर लागू नहीं होनी चाहिये । यह तो जबरदस्ती लादने वाली बात है । आज भाषा धर्मान्धता में उर्दू जैसी समृद्ध भाषा की भी नितान्त उपेक्षा की जा रही है । श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने ठीक ही कहा है कि हिन्दी किसी पर लादी नहीं जानी चाहिये । सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समान दर्जा होना चाहिये । अन्तर्राज्यीय संचार के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं से काम लेना चाहिये ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजी को स्थायी तौर पर नहीं रखा जा सकता है । न इसे रखा ही जा सकता है । इसका प्रयोग तब तक जारी रहना चाहिये जब तक कि प्रादेशिक भाषायें इतनी सीमा तक विकसित न हो जाय कि उनमें सारा काम किया जा सके । इनमें से कोई भी भाषा सम्पर्क भाषा के रूप में काम में लाई जा सकती है । मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें राष्ट्र की एकता का ध्यान है तो हमें भाषा के सम्बन्ध में निर्णय करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहियें । और सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूर्ण विकसित होने का अवसर देना चाहिये ।

श्री म० र० कृष्ण (पेछवल्लि) : यह बात गलत है कि जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से उर्दू हटा दी गई है । स्वतन्त्रता से पूर्व वहां उर्दू का नहीं अंग्रेजी का बोलबाला था । और आज भी अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी नहीं रखी गई है ।

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) मैं राष्ट्रपति जी को अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं स्वयं कुछ आज की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में ही विचार व्यक्त करूंगा । यह सन्तोष का विषय है कि जहां तक अगली योजना के कार्यान्वित करने का प्रश्न है घाटे की अर्थव्यवस्था न करने का निर्णय किया गया है । मेरा मत यह है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था ही देश में आज की महंगाई का मुख्य कारण है । यदि हमें अपनी योजनाओं

का अच्छे ढंग से लाभ उठाना है और प्रभावशाली ढंग से उन्हें कार्यान्वित करना है तो हमें अपनी सम्पूर्ण मूल्य नीति, सभी सम्बद्ध का ध्यान रख कर ही निर्धारित करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि परियोजना से उत्पन्न धन फैलाव की शक्तियों को नियन्त्रित रखा जाय। मैं सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग क्षेत्र में प्रवेश के निर्णय का स्वागत करता हूं। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उच्च कराधान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया है। यदि ऐसी स्थिति रही तो बचत के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी।

महंगाई का कारण यह भी है कि उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी है। यह भी कोई उत्साहजनक बात नहीं कि खाद्यान्न व्यापार निगम तथा खेती मूल्य आयोग की स्थापना का अभी कोई प्रभावशाली परिणाम सामने नहीं आया है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि जब तक इस दिशा में पहले से ही उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जाती, कृषकों को वास्तविक लाभों के आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकते। इसके बिना उन्हें इस दिशा में परिश्रम करने की प्रेरणा नहीं मिल सकती। और इस तरह राष्ट्रीय आय के बढ़ने की भी कोई सम्भावना नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए सभी सूत्रों का ठीक तरह से समन्वय होना चाहिये। विनियोजन, पूंजी सम्भरण, उत्पादन तथा सम्भरण सभी की व्यवस्था होनी चाहिये। अच्छा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जा रही है। और इस का काम उचित मूल्य निर्धारित करना है। यह आयोग सारी बातों का ध्यान रखते हुए मूल्य निर्धारित करेगा।

इन सब उठाये जाने वाले पगों से मूल्य नीचे जायेंगे अथवा नहीं यह तो देखने की बात है। कई बार चाहते हुए भी कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता। मामले का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। कहा जा रहा है कि चौथी योजना में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना 21,500 करोड़ रुपये की होगी। 5800 करोड़ रुपये के विदेशी विनियम की आवश्यकता होगी। यह तो ठीक ही है कि विदेणी मुद्रा की स्थिति गम्भीर है। मैं नहीं कह सकता कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए पूंजी कैसे उपलब्ध होगी। स्थिति यह है कि विदेणी पूंजी लगाने वालों में देश की ऋण चुकाने की क्षमता की वर्तमान स्थिति के बारे में भारी चिन्ता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि हमारा निर्यात व्यापार निरन्तर वृद्धि कर रहा है। कुल मिला कर विदेणी विनियम के सम्बन्ध में स्थिति शोचनीय है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस बार राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत बढ़िया नहीं रहा है। सरकार की नीतियों की व्याख्या भी बहुत स्पष्ट न हो कर जटिल ही रही है। इसके अतिरिक्त सरकार से जितने नेतृत्व की आशा थी उसमें वह असफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की वर्तमान समस्याओं से सरकार दूर भागना चाहती है और इन्हें हल करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही बात प्रकट होती है। यह बहुत खेदजनक बात है कि आज सरकार में समर्पण की भावना और पथप्रदशन का अभाव है। राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए हमें इन्हें पुनर्जीवित करना होगा। कमजोर नीति के बल पर भाषा की समस्था का हल नहीं हो सकता। आज इसके लिए रचनात्मक नीति की आवश्यकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में भाषा के बारे में जो उपबन्ध किया गया था उसे क्रमानुसार घटाते-घटाते बहुत कम कर दिया गया है। संविधान में भाषा से सम्बन्धित उपबन्ध में उस समय

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

ही कमी कर दी गई थी जब कि राज-भाषा अधिनियम बना था। परन्तु राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। परन्तु अब जो मांग की जा रही है यदि उसे पूरा किया गया तो हमारे संघ के लिये और सारे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। यदि संविधान से सतरहवां अध्याय निकाल दिया गया तो देश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यदि इस बारे में और अस्थिरता दिखाई अथवा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में शक्ति दी गई तो इस समस्या का हल होने वाला नहीं है।

मुद्रास्फीति और हीन अर्थ प्रबन्ध ने हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुद्रास्फीति ने तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को जकड़ लिया है। यदि अंधाधुंध सरकारी खर्चों की और हीन अर्थ प्रबन्ध को समाप्त नहीं किया गया तो हम बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। वित्त मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति सरकार की राष्ट्रीय नीति से बहुत दूर है। हाल ही बैंक दरों में और आयात कर में जो बढ़ोतरी की गई है उससे हमारे राष्ट्रीय उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। खाद्य के मामले में स्पष्टतः गति-अवरोध हुआ है। इस मामले में कोई तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है जिससे कठिनाइयां जारी हैं। कुछ राज्यों में हाल के पंचायती चुनावों में जो कुछ हुआ है वह बहुत चिन्ता का विषय है वस्तुस्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय करने चाहियें अन्यथा प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

हमें अपनी विदेशी नीति को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिये तथा विदेश नीति के क्षेत्र में हमने जो अवसर खोए हैं तथा पहल के अवसर खोए हैं उन्हें फिर ग्रहण कर सकें। सरकार ने अणु-शस्त्रों के निर्माण के बारे में जो रवैया अपनाया है देश उससे सन्तुष्ट नहीं है। देश में प्रशासनिक सुधारों की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार बताए कि "स्कैंडैनेवियन ओमब्समैन" प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के बारे में उसके क्या विचार हैं। आज देश में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है और इस दिशा में यह संस्था काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस राष्ट्रीय महत्व के मामलों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। यदि सरकार ने ऐसा किया तो यह उसकी कमजोरी का द्योतक होगी।

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरी) 17 फरवरी को जो अभिभाषण राष्ट्रपति जी ने दिया था, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है मैं उसका समर्थन करती हूं। कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपना अभिभाषण हिन्दी में पढ़ना चाहिये था, परन्तु खेद है कि राष्ट्रपति जी को हिन्दी आती नहीं है। हमारे संविधान में हिन्दी के साथ साथ अंग्रेज़ी के प्रयोग की भी व्यवस्था है। यदि राष्ट्रपति तेलगू में अपना भाषण पढ़ते तो बहुत कम माननीय सदस्य इसे समझ पाते। मुझे इस बात का सन्तोष है कि इस बार विरोधी दल का व्यवहार पहले की तरह नहीं रहा, उन्होंने बहिर्गमन इत्यादि नहीं किया। परन्तु राष्ट्रपति के प्रति उनका व्यवहार नेक नहीं है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि तमिलनाड पर बहुत ही भयंकर समय आया था। हाल ही के भयंकर तूफान से बहुत अधिक क्षति लोगों को उठानी पड़ी। इस प्रकार की क्षति इतिहास भर में न देखी गई थी और न ही सुनने में ही आई थी। यह सन्तोष का विषय है कि सरकार ने तूफान पीड़ितों को सहायता देने के लिए उपयुक्त उपाय किये हैं इससे लोगों को कुछ

राहत मिली है। इसी तरह मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री ने पामबेन पुल को पुनः बनवाने की बात कही थी। मेरा निवेदन यह है कि पामबेन रेलवे पुल पर काम करने से पहले कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की जानी चाहिये। कुंजरू समिति ने इस पुल के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

26 जनवरी, 1965 के बाद जो कुछ राज भाषा के प्रश्न पर देखने में आया वह बहुत ही भयंकर है। दक्षिण में इस प्रश्न पर जो कुछ हुआ है वह अतिदुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कारण वहां अपने आप ही आन्दोलन चल पड़ा। जो कुछ भी हुआ वह अत्यन्त खेदजनक है, परन्तु हम हिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम हिन्दी के विरुद्ध नहीं। हम हिन्दी भाषायी लोगों व अन्य भाषा वाले लोगों के बीच विषमता पैदा करना नहीं चाहते। देश की एकता की दृष्टि से हम एक सामान्य सम्पर्क भाषा के पक्ष में हैं। इसी कारण ही इसमें हिन्दी को अपनी राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार किया है। लोगों को जो भ्रांतियां अथवा भय है, उन्हें दूर किया जाना उचित ही है। उसके लिए मेरा निवेदन यह है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके संविधिक संरक्षण दे दिया जाय। श्री जवाहरलाल जी द्वारा दिये गये आश्वासनों को उसमें सम्मिलित कर लिया जाय। अंग्रेजी को तब तक के लिए चलते रहने देना चाहिये जब तक कि अहिन्दी भाषी राज्य उसके लिए तैयार न हो जायं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भाषण समाप्त कर रही हैं या अधिक समय लगेगा ?

श्रीमती अकम्मा देवी : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा २४ फरवरी, १९६५/५ फाल्गुन, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 24th February, 1965/Phalguna 5, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2507(Ai) LS—17-6-65—600.